

jftLV^h laö Mhö ,yö&33004@99
33004/99

REGD. NO. D. L.-

vlk/kj.k
EXTRAORDINARY
HkksII—[k.M 4
PART II—Section 4
izkf/dkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

la-02] ubZ fnYyh] eaxyokj] tuojh 24] 2017@ek?k 4]
1938 No. 02] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2017/MAGHA 4, 1938

रा मंालय

अधसूचना

नई दली, 24 जनवरी, 2017

का.नि.आ. 2(अ).—निनिलिखत कुछ ा

प नियम, जो छावनी (सूचनाओं का तामील का
प और रीति) नियम, 2016 भारत के राजप असाधारण, भाग – II, खंड - 4
तारीख 05 अगस्त, 2016 को छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क% धारा
346 क% अपेक्षाानुसार भारत सरकार, रक्षा मंालय क% अधिसूचना के
का.नि.आ. सं.10(अ) 'ाराकािशत किया गया था और उससे भावित
होनेवाले सभी संभावित -यि.य/ से उपयु1. अधिसूचना के काशन क% तारीख
से साठ दिन/ क% अविध क% समाि4 से पूव1 आर्प और सुझाव मांगे गए
थे;

और, उ. राजप क% अधिसूचना क% ितयां जनता को 05 अगस्त, 2016
को उपलब्ध कराई गई थी; और, क; <ीय सरकार को उ. ा
प नियम/ के संबंध म; साठ दिन/ क% अविध क% समाि4 के प>ात भी
जनता से कोई आर्प और सुझाव ा4 नह@ हAए;

अतः, अब केB<ीय सरकार उ. अधिनियम क% धारा 346 'ारा दC
शि.य/ का योग करते हAए निनिलिखत नियम बनाती है, अथा1त् :-

1. संि नाम और

ारंभ: (1) इन नियम/ का संि&4 नाम छावनी (सूचनाओं का तामील का
प और रीति) नियम, 2017 है।

(2) ये राजप म; काशन क% तारीख को वृC ह/गे।

415 GI/2017

(1)

2. परभाषाएं – (1)इन नियम/ म; जब तक संदभ1 से अBयथा अपेि&त न
हो:

(क) 'अधिनियम' से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभेत है;

(ख) ‘

प’ से इन िनयम/ से उपाबM

प अभित हN ;

(2) उन श9द/ और पद/ के, जो इन िनयम/ म; यु. है िकBतु, पOरभाषित नह@ हN, वही अथ1 ह/गे जो Qमशः उनके अधिनयम म; हN।

3. सूचनाओं के

प-अधिनयम के अधीन िकसी -यि. पर तामील िकए जाने के िलए अपेि&त सभी सूचनाएँ,

इन िनयम/ से उपाबM

प/ म; क% जा सक; ग@।

4. सूचनाओं को तामील करने क रीित – िकसी -यि. को अधिनयम के अधीन जारी क% गई Tयेक सूचना

िनन कार से तामील या \$तुत क% जा सकेगी –

(क) सूचना, ऐसे -यि. को देकर या िनिवदC करके या डाक 'ारा भेजकर ;

(ख) यदि ऐसा -यि. िमल नह@ सकता है तो उसके अंितम Wात िनवास या कारबार के \$थान के िकसी सहजXYय भाग पर सूचना को िचपका कर, यदि ऐसा \$थान छावनी के भीतर है तो, सूचना को उसके पOरवार के िकसी वय\$क पुZष सद\$य या सेवक को देकर या िनिवदC करके या उस भवन या भूमि के, यदि कोई है, िजससे यह संबिBधत है, िकसी सहजXYय भाग पर िचपकवा कर ।

5. धारा 316 से 321 के उपबंध\$ का लागू होना – अधिनयम क% धारा 316 से 321 तकके उपबंध इन िनयम/ के

अधीन जारी क% गई Tयेक सूचना को लागू ह/गे ।

प सं'या – 1

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा 76 के

अधीन लोक सूचना

धारा 76 क% अपे&ानुसार कर िनधा1रण सूची तैयार करने पर
उसक% सूचना (तारीख) को सयक

प से दे दी गई थी। अब, छावनी अधिनियम, 2006 क% धारा 76 के अपे&ानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि मुख्य अधशासी अधिकारी तारीख से आ&ेप/ क% सुनवाई ारभ करेगा। (सूचना के काशन क% तारीख और सुनवाई क% तारीख के बीच कम से कम तीस दिन का अंतर होना चाहिए) ।

यह सूचना छावनी अधिनियम 2006 क% धारा 319 क% अपे&ानुसार निम्नलिखित मुख \$थान/ पर लगाई जा रही है :- 1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

छावनी बोर्ड कायालय

सं'या.....

मुख्य अधशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

तारीख.....

(बोर्ड क% मुहर)

¹Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % v[k/kj.k

3

प सं'या - 2

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क धारा 76 के अधीन -यि.गत सूचना

सेवा म,;

.....

.....

.....

.....

विषय: निधाकरण सूची के पुनरी&ण के संबंध म;

महोदय/महोदया,

छावनी अधिनियम 2006 क% धारा 76 क% अपे&ानुसार आपको सूचना दी जाती है कि मुख्य अधशासी अधिकारी ने एक नई कर निधाकरण सूची तैयार क% है, जिसक% लोक सूचना पहले ही (तारीख)..... को

काशित क% जा चुक% है और आपक% संपिC जो के नाम से Wात है, का िनधा1रण से बढ़ा कर ित वष1 कर िदया गया है । पुनरीं&त िनधा1रण और मूbयांकन पर मु^य अधशासी अधिकारी 'ारा को िवचार िकया जाएगा ।

2. यदि उपरो. िनधा1रण के बारे म; आपका कोई आ&ेप है तो आप तारीख से पूव1, यह कथन करते हAए िक िनधा1रण के बारे म; आपका िववाद cया है, िलिखत म; आ&ेप कर; ।

3. मु^य अधशासी अधिकारी (तारीख)..... के प>ात आपसे ा4 िकसी आ&ेप पर िवचार नह@ कर;गे ।

छावनी बोड1 काया1लय

सं^या.....

मु^य अधशासी अधिकारी

..... छावनी बोड1

तारीख.....

(बोड1 क% मुहर)

िनधा1रण/मूbयांकन के 9योरे

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

प सं^या - 3

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा 79 क
उपधारा (2) के अधीन सूचना

सेवा म;,

.....

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

निर्धारण सूची को निम्नलिखित रीति में; और नीचे विनिर्दिष्ट आधार/पर संशोधित करना आवश्यक हो गया है:-

- (क)..... नाम से वात संपिC के संबंध में;
 फी/फीमित/कुमारी..... को नाम जोड़ कर/लोप करके,
 जिसका नाम जोड़ा जाना या लोप किया जाना चाहिए था ।
- (ख) के नाम से वात संपिC जोड़ कर/लोप
 करके जिसका नाम जोड़ा जाना या लोप किया जाना चाहिए था ।
- (ग) के नाम से वात संपिC के निर्धारण में;
 पठित करने के जिसका मूल्यांकन या निर्धारण शासन या
 निर्धारक के कपट, संयोग या भूल के कारण गलत हो गया था ।
- (घ) पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निर्धारण करने पर..... नाम से
 वात संपिC का मूल्य अंतिम निर्धारण के बाद से 0 से
 बढ़कर 0 हो गया है ।
- (ङ).....के नाम से वात संपिC के संबंध में; अधिभोगी का
 नाम बदल कर
 व्यक्त कर अधिभोगी द्वारा संदेय है ।

यदि उपरो. संशोधन/ के बारे में; आपको कोई आपिC है तो अपना
 आवेदन, मुख्य अधिशासी अधिकारी के पास..... से पूर्व प्रस्तुत करना
 चाहिए ।

(किंतु समय सीमा, सूचना क% तारीख से तीस दिन से कम नहीं होनी
 चाहिए)

छावनी बोर्ड कायालय	अधिशासी
अधिकारी संख्या.....	
छावनी बोर्ड तारीख.....	(बोर्ड क%
मुहर)	

1Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

5

प सं'या - 4

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क धारा
 82 के अधीन सूचना

सेवा मः,

मु॒य अधशासी
अधिकारी

.....

छावनी बोड1

.....

.....

महोदय/महोदया,

मN/हम छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क% धारा 82 क%
अपे&ानुसार सूचना देता/देती हं/देते हN िक मNने/हमने छावनी बोड1
सं॒या तारीख के आपके प
सं॒या..... तारीख 'ारा दी गयी मंजूरी के
अनुसरण मः, तारीख को गली/सड़क पर िथत कलॉट
सं॒या..... पर भवन का िनमा1ण/पुनिन1मा1ण पूरा कर िलया
है/अधभोग mहण कर िलया है ।

(किथत समय सीमा भवन के पूरा होने या अधभोग क% तारीख से 30 िदन से
कम नह@ होनी चािहए, जो भी पहले हो)

तारीख.....

भवदीय,

ह\$ता&र

.....

नाम

.....

....

पता

.....

....

प सं॒या - 5

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा
86 के अधीन सूचना

सेवा मः,

मु॒य अधशासी
अधिकारी

.....

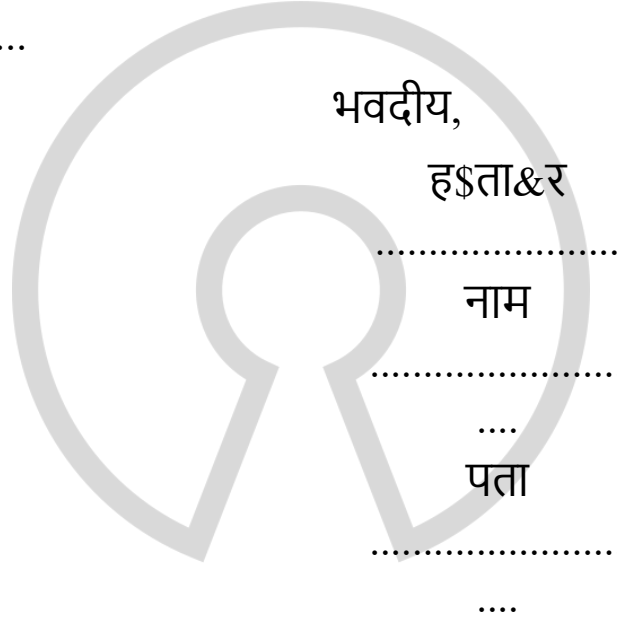
.छावनी बोड1

विषयः के नाम से वात संपिC को खाली करने क% सूचना
महोदय/महोदया,

मN/हम छावनी अधिनयम, 2006 क% धारा 86 के अधीन सूचना देती/देता
हजं/देते हN िक उिबलिखत संपिC* (संपिC का भाग) खाली है और तारीख
..... से उससे कोई िकराया (भाटक) नह@ िमल रहा है ।

कृपया इसे नोट कर; ।

तारीख.....



(*यहाँ संपिC के खाली भाग क% िविशि॑य/ का उबलेख कर;)

1Hkkx Iµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

7

प सं'या - 6

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा
88 के अधीन सूचना

सेवा मः,

मु॒य अधशासी
अधिकारी

.....

.छावनी बोड1

विषय: के नाम से वात संपिC का पुनः अधिभोग

महोदय,

मN/हम छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क% धारा 88 के अधीन सूचना देती/देता हं/देते हN कि उलिखत संपिC*/(संपिC के भाग) का नाम तारीख 20 से पुनः अधिभोग म; से िलया गया है ।
(किथत समय सीमा, संपिC के पुनः अधिभोग से 15 िदन से कम नह@ होनी चाहिए)

तारीख

भवदीय,

ह\$ता&र

.....

नाम

.....

....

पता

.....

....

(*यहाँ संपिC के भाग का उलेख कर;)

प सं'या - 7

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा
91 के अधीन सूचना

सेवा म;,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

आपके 'ारा चुंगी कर/सीमा कर/पथ कर के
प म; देय

0 क% रकम अदा न करने के कारण नीचे सूचीबM

माल/यान(यान/)/पशु(पशुओं) का तारीख..... को आपसे अभिमहण कर िलया गया था ।

और उ. माल/यान(यान/)/पशु(पशुओं) पर चुंगी कर/सीमा कर/पथ कर के प म; जमा करने म; असफल रहे हN ।

अतः, अब मN, अथा1त छावनी बोड1 का मु^य अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क% धारा 91 क% उपधारा (3) के अनुसरण म; आपको सूचना देता हजं िक नीचे सूचीबM माल/यान(यान/)/पशु(पशुओं) क% बाबत चुंगी कर/सीमा कर/पथ कर के प म;

. क% रकम वसूल करने के िलए उ. माल माल/यान(यान/)/पशु(पशुओं) को तारीख को नीलामी 'ारा बेचा जाएगा ।

यह भी पयान रख; िक क% रकम के अितOर. उ. माल माल/यान(यान/)/पशु(पशुओं) के अभिमहण, अभिर&ा या बेचने के कारण हAआ -यय भी आपसे वसूल िकया जाएगा, यदि उ. रकम और -यय, नीलामी 'ारा िवQय के आरंभ से पूर्व1 आपके 'ारा अदा नह@ िकया जाता है ।

छावनी

बोड1

काया1लय

सं^या

.....

.

तारीख.....

भवदीय,

ह\$ता&र.....

.....

नाम

.....

.....

पता

.....

.....

माल/यान(यान\$)/पशु(पशुओं) क सूची

1

.....

.....

2

.....

.....

3

.....

.....

4

.....

.....

Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

9

प सं'या - 8

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा 116 क उपधारा (1) के अधीन
सूचना

सेवा म;,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

आपके अधिभोग म; नाम से wात इमारत/भूमि के कर
दायित्व/निर्धारित क% जाने वाली

रकम/वर्षिक मूल्य को अभिनिर्दिष्ट करने के योजन/ के लिए जानकारी लेना
आवश्यक हो गया है ।

अतः अब मन् अर्थात् छावनी बोर्ड का मुय
अधिसूची अधिकारी आपसे मांग करता हूँ कि

इस सूचना क% ाि4 के 15 िदन के अंदर नाम से Wात
सपिC के बाबत दूसरी ओर िदये गए
प म;

आवYयक सूचना द; । 15 िदन के अंदर सूचना देने म; असफल रहने या ऐसी
सूचना देने क% दशा म;; जो आपके सवqतम Wान
या िव्रास के अनुसार सही नह@ है, आप उ. अधिनयम क% धारा 116 क%
उपधारा (2) के अधीन जुमा1ने से, िजसे 5000
Zपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय ह/गे और इमारत/भूिम का कर ,
दाियिाव/िनधा1Oरत क% जाने वाली रकम/वािष1क मूbय
उतना िविनि>त िकिया जाएगा, िजतना मु^य अधिशासी अधिकारी उचित
समझता है । इस कार िकिया गया िनधा1रण

अंितम होगा।

छावनी

बोड1

काया1लय

सं^या

.....

.

तारीख.....

.....

भवदीय,

ह\$ता&र.....

.....

नाम

.....

.....

पता

.....

.....

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा 116 के अधीन दी जाने वाली
जानकारी

1. मकान संख्या, सड़क और पोर
2. \$वामी का नाम और पता
3. उतराधिकारी/य क तारीख
4. सपिC के िलए संदC क गयी कमत
5. (क) कचा या पका
(ख) कवड1 &
6. मंजिल/ क संख्या
7. Tयेक मंजिल म; कमर/ क संख्या, िजसके अंतगत भंडार, रसोई और \$नानमह भी हN और उनक% िदशाएँ।
8. (क) आवासीय योजन के िलए उपयोग म; है या वाणिज्यिक योजन/ के िलए
(ख) इमारत का उपयोग होटल, महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल एवं कारखाना चलाने के िलए िकिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो कृपया पूरे 9यारे दीजिए।
9. यदि कोई भाग िकराए पर िदया गया है तो िकरायेदार/ के नाम, Tयेक को िकराए पर िदया गया आवास और मासिक िकराया ।
10. cया मकान म;
(क) िबजली लगी है ।
(ख) घरेलू पानी कनेशन है ।
(ग) \$वछ शौचालय है ।
11. cया मकान को रात सरकार के सपिC कर के िलए िनधा1रण िकिया गया है । यदि हाँ तो, उTपाद शुबक और कराधान अधिकारी 'ारा िनयत िनधा1रण क% रकम िकतनी है और िनधा1रण िकिस तारीख से लागू है ।

\$वामी/अधभोगी/िकिराएदार के ह\$ता&र

¹Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

11

प संख्या - 9

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क धारा 136 के
खंड (क) के अधीन सूचना

सेवा म;

.....

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है कि :

*(1) आपका इमारत/भूमि #..... का हौदी ब्यूस कर रही है और उसे बंद रखना आवश्यक है।

*(2) आपका इमारत/भूमि म; गंदगी के इकट्ठा करने के पा को साफ हालत म; नहला रखा गया है आपका इमारत/भूमि म; मल इकट्ठा हो रहा है।

*(3) आपका इमारत / भूमि पर ाइवेट शौचलय /मूलय/हौदी/नानघर से पानी या किसी दुग्धयु. पदार्थ का ठरसना या बहना पड़ोसिय/ और गुजरने वाले -यि.य/ के लिए ब्यूस कर रहा है।

*(4) आपका इमारत/भूमि #..... म; कचरा या दुग्धयु. पदार्थ इकट्ठा होने दिया गया है, इसके नीचे या उसम; रहने दिया गया है।

अतः, अब मन्, अर्थात् छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम 2006 का धारा 136 के खंड (क) के उपखंड** के अनुसरण म; आपको सूचना देता हूँ कि आप इस सूचना का 4 के दिन के अंदर उस हौदी को बंद कर दे/गंदगी को इकट्ठा करने के पा को साफ हालत म; रख;/इकट्ठा होगा मल को हटा द;/ निम्न के गंदे पानी को सावधानीक स्थान म; बहना रोक द; या पक्का हौदी का -यवस्था कर;। उचित

प से ढकने का -यवस्था कर;/मरमत कर;/ कचरे को हटाएँ/निम्न कर;।

छावनी

बोर्ड

कायालय

संस्था

.....

.

तारीख.....

अधिकारी

छावनी बोर्ड

)

(*जो आवश्यक न हो उसे काट द; ।)

#भवन या भूमि के 9योंरे द; ।

**यहां धारा 136 के खंड (क) क% संबंधित उपधारा का उल्लेख कर; ।

मुख्य अधिशासी

.....

(बोर्ड क% मुहर

प सं'या - 10

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क धारा 136 के खंड (ख) खंड (ग) के अधीन सूचना

सेवा म;,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है कि :

*(1) आपक% इमारत/भूमि # से सावजनिक नाली म; जाने वाली नाली का बनाना या उसमें पोरवतन करना, रोकना आवश्यक है ।

*(2) आपके नियंत्रण म; क% नाली साफ नह@ है/नाली क% मरमत आवश्यक है/नाली म; पोरवतन किया जाना चाहिए/नाली को अच्छी हालत म; रखना आवश्यक है ।

अतः अब मN, ... छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम, 2006 कि धारा 136 के खंड* (ख)/खंड* (ग) के अनुसरण म; सूचना देता हूँ कि आप इस सूचना क% ाकि के दिन/ के

अंदर साव1जिनक नाली म; जाने वाली, उ. नाली को बनाने या उसके प0रवत1न करने रोकने/साफ करने/िनम1ल करने/इसक% मरमत करने/उसे अsछी हालत रखने क% सूचना देता हं।

छावनी

बोड1

काया1लय

सं^या

.....

.

तारीख.....

.....

अधिकारी

छावनी बोड1

मुहर)

#भवन या भूमि के 9योरे द; ।

*जो आवयक न हो उसे काट द; ।

¹Hkkx IIμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

13

भवदीय,
मु^य अधशासी

.....

(बोड1 क%

प सं'या - 11

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा 137 क
उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा म;,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

..... छावनी बोड1 के \$वा\$थय अधिकारी/सहायक \$वा\$य अधिकारी क% राय म; आपक% नाम से Wात संपिC म; ि\$थत कुआं/तालाब/जलाशय/िस\$टन1/पा िजसम; पानी जमा िकया जाता है/इcकठा होता है, Bयूस;स हो रहा है और मsछर/ के जनन का \$थान होना संभव है ।

अतः, अब मN, ... छावनी बोड1 के मु^य अधशासी अधिकारी क% हैिसयत से छावनी अधिनयम 2006 क% धारा 137 क% उपधारा (1) के अनुसरण म;, आपको सूचना देता हजँ िक इस सूचना क% ाि4 के

.....

िदिन के अंदर उ. कुआं/तालाब/जलाशय/िस\$टन1/पा को भर द;/ढक द; ।

(ािधकरण: छावनी बोड1 संकbप सं^या तारीख
.....)

(#संपिC का 9यौरा)

छावनी

बोड1

काया1लय

सं^या

.....

.

तारीख.....



भवदीय,
मु^य अधशासी
अधिकारी

.....
छावनी बोड1
(बोड1 क%
मुहर)

प सं^या - 12

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा 138 के खंड
(क) के अधीन सूचना

सेवा मः,

.....

महोदय/महोदया,

इस और पयान आकिषत हआ है िक आपके
 \$वािमTवाधीन/अधभोगाधीन भूमि/इमारत/मकान मः, जो
 के

प मः Wात है शौचालय/मूलय/हौदी/धूलिभांड/गंदगी, मल या कचरे के पा/
 अितOR.

शौचालय/मूलय/हौदी का ावधान िकया जाना चािहए ।

अतः, अब मN, ... छावनी बोड1 के मु^य अधशासी
 अधिकारी क% हैिसयत से, छावनी अधिनयम 2006 क% धारा 138 के
 अनुसरण मः, आपको सूचना देता हजुँ िक आपके उ. \$वािमTवाधीन
 भूमि/इमारत/मकान मः िननिलिखत िविनद}श/ के अनु
 प ावधान िकया जाए:

.....

..... (यहां शौचालय/मूलय/हौदी आदक% रीित को िविनिद1e करः)

(# संपिC का 9यौरा)

छावनी

बोड1

काया1लय

सं^या

.....

.

तारीख

भवदीय,
 मु^य अधशासी
 अधिकारी

.....
 छावनी बोर्ड
 (बोर्ड का
 मुहर)

१Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
 15

प संख्या - 13

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) के धारा
 139 के अधीन सूचना

सेवा में,

मुख्य अधिशासी
 अधिकारी

.....

.छावनी बोर्ड

.....

.....

महोदय/महोदया,

मन..... (यहां \$थापना का नाम दें) के
 नियोजक का हैसियत से छावनी अधिनियम, 2006 के धारा 139 के अधीन
 आपको सूचना देता हूँ कि मन छावनी में निश्चित उ.
 \$थापना (\$थापना का नाम) में; -पि.य/ को तारीख
 से कम 1 चाओरय/ के
 प में नियोजित कर रहा हूँ।

\$थान

तारीख

भवदीय,

हस्ताक्षर

.....

नाम

.....

....

पता

.....

....

प सं'या - 14

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा
140 के अधीन सूचना

सेवा मः,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है िक :

*(1) आपके \$वािमTवाधीन/िनयंणाधीन ाइवेट शौचालय/मूलय, इसके बाद साव1जिनक उपयोग के िलए काम मः नह@ लाया जाना चािहए;

*(2) आप जो ाइवेट शौचालय / मूलय बना रहे हN/मरमत करा रहे हN वह नह@ बनाया जाना चािहए/ उसक% मरमत नह@ क% जानी चािहए, जब तक िक मु^य अधशासी अधिकारी या मु^य अधशासी अधिकारी 'ारा ाधिकृत पदाधिकारी (यहां बोड1 के िनरी&ण पदाधिकारी के नाम का उबलेख कर;) उसका िनरी&ण नह@ कर लेता और माणिणत नह@ कर देता िक उ. शौचालय / मूलय छावनी बोड1 'ारा तारीख 20..... को अनुमोिदत आदश1 कलान के अनुप है । (िजसक% ितयाँ छावनी बोड1 के काया1लय मः िनःशुबक उपल9ध हN)

*(3) आपके \$वािमTवाधीन/ िनयंणाधीनाइवेट शौचालय/मूलय साव1जिनक Bयूस;स है ।

*(4) आपके \$वािमTवाधीन/ िनयंणाधीन शौचालय

(क) वहाँ से जाने वाले -यि.य//पड़ोस म; रहने वाले
 िनवािसय/ को नज़र आता है ।(ख) नीचे
 िविनिद1e रीित से साफ रखने क% आवYयकता है।

*(5) आपके \$वािमTवाधीन/िनयंणाधीन नाली ढक% हAई नह@ है और उसे
 िननिलिखत/िविनिद1e रीित से ढकने क% आवYयकता है ।

(यहाँ ढकने क% उपरो. रीित िविनिद1e कर;)

अतः, अब मN, ... छावनी बोड1 के मु^य अधशासी अधिकारी
 क% हैिसयत से, छावनी अधिनयम 2006 क% धारा 140 के खंड
 \$......के अनुसरण म; आपके \$वािमTवाधीन/िनयंणाधीन
 भूमि/इमारत** म; ाइवेट शौचालय/मूलय/नाली

इसके प>ात िविनिद1e रीित से बनाई जाए/मरमत क% जाए/हटा दी
 जाए/बंद कर दी जाए/साफ कर दी जाए/ढक दी जाए। -----

छावनी बोड1 कायालय
 सं^या
 तारीख.....

भवदीय,

ह\$ता&र.....

.....

नाम

.....

.....

पता

.....

.....

(* जो आवYयक न
 हो उसे काट द;।

\$ यहाँ खंड

िविनिद1e कर;

** इमारत या भूमि

का िववरण द;।)

Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

17

प सं'या - 15

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा 142 क उपधारा
(3) के अधीन सूचना

सेवा मः,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

छावनी अधिनयम, 2006 क% धारा 142 क% उपधारा (1) के अधीन गिठत सिमित क% 0रपोट1 के आधार पर छावनी बोड1, क% यह राय है क%नीचे सारणी मः उपदिश1त इमारत (इमारत/) के िनवािसय//पड़ोसी/के बीमार होने का जोखिम है/लोक \$वा\$य के िलए खतरा है ।

और, बोड1 का समाधान हो गया है िक उ. इमारत/इमारत/ को त1काल हटाना आवYयक है ।

अतः, अब मN, ... छावनी बोड1 के मु^य अधशासी अधिकारी क% हैिसयत से, छावनी अधिनयम, 2006 क% धारा 142 क% उपधारा (3) के अनुसरण मः, आपको सूचना देता हजँ, िक इस सूचना क% ाि4 के..... िदन/ के अंदर उ. इमारत/इमारत/ को हटा िदया जाए ।

(ाधिकरण: छावनी बोड1 संकbप सं^या तारीख
.....)

छावनी

बोड1

काया1लय

सं^या

.....

..

तारीख.....

मुख्य अधिशासी
अधिकारी

.....

छावनी बोर्ड

(बोर्ड का मुहर)

)

सारणी

(यहाँ संबंधित इमारत (इमारत) का
विवरण दीजिए)।

प संख्या - 16

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) का धारा 143 का
उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

बोर्ड का राय में; इमारत/इमारत/ या इसके भाग,
जो आवासगृह के
में काम में लाई जा रही है, इतनी अतिरिक्त है कि उसमें रहने वाले
का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है।

अतः, अब मैं, ... छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी
का हैसियत से छावनी अधिनियम 2006 का धारा 143 का उपधारा (1) के
अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि उ. इमारत से*..... तक
उसके निवासियों/निकराएदार/अथवा निवासियों का संख्या को घटा कर

उस अतिसंकुलन को दूर कर द;। उपयु१. अपे&ा के अनुपालन म; असफल होने पर आप उ. अधिनयम क% धारा 143 क% उपधारा (1) के अधीन अभियोजन के दायी ह/गे ।

(ाधिकरण: छावनी बोड१ संक७प सं^या तारीख)

छावनी
बोड१
काया१लय
सं^या
.....

..
तारीख.....

भवदीय,
मु^य अधिशासी
अधिकारी
.....
छावनी बोड१
(बोड१ क%
मुहर)

(*इसके प>ात उन रहने वाले िनवािसय//िकिराएदार//अBय -यि.य/ के 9यौरे दे िजनक% सं^या म; कमी क% जानी है)

¹Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

19

प सं^या - 17

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा 144 क
उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा म;,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

बोड1 क% यह राय है िक ि\$थत आपके \$वािमTव/अधभोग के अधीन इमारत/इमारत; मरमत लायक न होने/जज1र/अ\$वा\$यकर दशा म; है और उसम;, िननिलिखत मरमत/पOरवत1न करने क% आवYयकता है :

(1).....

.....

(2).....

.....

(3).....

.....

(4).....

.....

अतः, अब मN, ...छावनी बोड1 के मु^य अधशासी अधिकारी क% हैिसयत से, छावनी अधिनयम, 2006 क% धारा 144 क% उपधारा (1) के अनुसरण म; आपको सूचना देता हजँ िक इस सूचना क% ाि4 के िदन के अंदर उ. मरमत / पOरवत1न कर िदये जाएँ ।

(ािधकरण: छावनी बोड1 संकbप सं^या तारीख)

छावनी

बोड1

काया1लय

सं^या

.....

..

तारीख

भवदीय,

मु^य अधशासी
अधिकारी

.....

छावनी बोड1

(बोड1 क%

मुहर)

प संया - 18

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा 145 क उपधारा (1) के अधीन
सूचना

सेवा मः,

.....

महोदय/महोदया,

आपके \$वांमिटव / अधभोग के अधीन भूमि/इमारत
 गंदी/अ\$वा\$यकर हालत मः है। * पड़ोस मः रहने वाल/ के िलए Bयूसःस है/ *
 मः नागफनी/मोथा घास/हांनिकर वन\$पित क% अधिकता है।

अतः, अब मN, ... छावनी बोड1 के मु^य अधशासी
 अधिकारी क% हैसियत से, छावनी अधिनयम, 2006 िक धारा 145 िक
 उपधारा (1) के अनुसरण मः आपको सूचना देता हजँ िक इस सूचना क%
 ां4 के िदन के अंदर आपके \$वांमिटव/अधभोगी के अधीन
 भूमि/इमारत/इमारत/ क% सफाई करः, अंदर से/बाहर से चूने
 क% सफेदी करः/साफ और समुचित हालत मः रखः।

छावनी

बोड1

कायालय

संया

.....

..

तारीख.....

भवदीय,

मु^य अधशासी

अधिकारी

.....

छावनी बोड1

(बोड1 क%
मुहर)

(* जो आवययक न हो उसे काट द;।)

प संया - 19

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा
147 के अधीन सूचना

सूचना

इस इमारत (यहां इमारत के 9यौरे द;) के हर \$वामी या अधिभोगी को सूचित किया जाता है कि उ. पूरी इमारत या उसका भाग मानव आवास के लिए अनुपयु. है। अतः जब तक छावनी बोड1 उसे ऐसे योग के लिए उसे उपयु. घोषित नह@ करता तब तक आप उसको निवास के लिए काम म; नह@ लाएँगे।

¹Hkkx Ilμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

21

(ाधिकरण: छावनी बोड1 संकल्प संया तारीख.....)

छावनी
बोड1
कायालय
संया

.....

..

तारीख

भवदीय,
मुय अधशासी
अधिकारी

.....
छावनी बोड1
(बोड1 क%
मुहर)

प संया - 20

**छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क धारा
148 के अधीन सूचना**

सेवा मः,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है िक आपके \$वािमिटव या अधिभोग के अधीन उित
भूमि/इमारत मः अनकर/ झाड़-झंखाड़ हो गया है जो पड़ोस के िनवासी -
यि.य/ के \$वा\$य के िलए ंतिकर/अ
िचकर है;

अतः अब मN, ... छावनी बोड1 के मु^य अधिशासी अधिकारी क%
हैिसयत से, छावनी अधिनियम, 2006 क% धारा 145 िक उपधारा (1) के
अनुसरण मः आपको सूचना देता हंँ िक उ. भूमि/भवन से उ. झाड़- झंखाड़
को िदन/ के अंदर साफ कर दः और हटा दः ।

छावनी
बोड1
कायालय
सं^या

.....

..

तारीख.....

भवदीय,
मु^य अधिशासी
अधिकारी
.....
छावनी बोड1
(बोड1 क%
मुहर)

प सं'या - 21

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा
150 के अधीन सूचना

सेवा म;,,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

आपके \$वािमTव/भार के अधीन कि□\$तान/शमशान के बारे म;, क%
दशा, बंध उपि\$थित के बारे म; िननिलिखत जानकारी ा4 करना आवYयक है
। (यहां अपेि&त जानकारी िविनिद1e कर;)

अतः, अब मN, ... छावनी बोड1 के मु^य अधशासी अधिकारी िक
हैिसयत से, छावनी अधिनयम, 2006 क% धारा 150 अनुसरण म; आपसे
अपे&ा करता हजँ िक इस सूचना क% ाि4 के िदन के अंदर उ.

.....

कि□\$तान/शमशान के बारे म; अपेि&त जानकारी द; ।

छावनी

बोड1

काया1लय

सं^या

.....

..

तारीख.....

भवदीय,

मु^य अधशासी

अधिकारी

.....

छावनी बोड1

(बोर्ड क
मुहर)

प सं'या - 22

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा
158 के अधीन सूचना

सेवा मः,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

चिकीत्सीय -यवसायी fी/fीमित ने यह माणित किया
है कि संQामक/सांसिगक (रोग का नाम) रोग के फैलने
का कारण आपके 'ारा छावनी बोर्ड म; दूध के दाय का माना जा सकता है ।

१Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

23

अतः अब मN, ... छावनी बोर्ड के मु^य अधशासी अधिकारी क%
हैसियत से, छावनी अधिनयम, 2006 क% धारा 158 के अनुसरण म; आपसे
अपे&ा करता हूँ कि इस सूचना क% ाि4 के दिन के अंदर
मुझे अपने सभी माहक/के नाम और पत/ क% वि\$त और पूरी सूची भेज द;
जिससे कि उन -यि.य/ का, जिBह; आपने दूध बेचा है, पता लगाना संभव हो
सके ।

छावनी

बोर्ड

कायालय

सं'या

.....

..

तारीख.....

भवदीय,

मु॰य अधशासी

अधकारी

.....

छावनी बोड1

(बोड1 क%

मुहर)

प सं'या - 23

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा

159 के अधीन सूचना

सेवा म;,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

\$वा\$य अधकारी ने यह माणित कर िदया है िक, संQामक/सांसिग1क

..... रोग का फैलना िनवा1िदत

करने क% Xिे से (रोग का नाम) आपके mाहक/ के संबंध म;
जानकारी ा4 करना आवYयक है;

अतः, अब मN, ... छावनी बोड1 के मु॰य अधशासी अधकारी क%
हैिसयत से, छावनी अधिनयम, 2006 िक

धारा 159 अनुसरण म; आपको सूचना देता हजँ िक इस सूचना क% ाि4 के
..... िदन/ के अंदर \$वा\$य अधकारी को,

छावनी के अंदर सभी mाहक/ के िजनके कपड़े और अBय चीज़; आप धोते
हN या इस सूचना क% तारीख से ठीक पूव1वत□

छ: स4ाह/ के दौरान धोये हN, नाम और पते क% िव\$तृत और पूरी सूची दी
जाए ।

छावनी
बोर्ड
कायालय
संख्या
.....
..

तारीख.....

भवदीय,
मुख्य अधिशासी
अधिकारी
.....
छावनी बोर्ड
(बोर्ड का
मुहर)

प संख्या - 24

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क धारा 162 के अधीन सूचना
सेवा मः,

.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

शुद्ध अधिकारी ने रपट दी है कि छावनी मः,

*(क) आपका डेरी से दाय किए गए दूध के उपभोग से

*(ख) आपके द्वारा कपड़/ या अन्य चीज/ का धुलाई/कपड़/ या चीज/ का

..... (स्थान का नाम) पर धुलाई के काम मः लाई गई रिया से

संक्रामक या सांसिक रोग पैदा हुआ है/पैदा होना संभव है ।

अतः, छावनी अधिनियम, 2006 का धारा 162 के खंड..... के अनुसरण

मः, ... छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी का हैसियत से

निर्देश देता हूँ कि, जब तक आगे सूचना न दी जाए

* (क) आपक% डेरी से िकसी -यि. को दूध का दाय नह@ िक्या जाना चािहिए ।

* (ख) आपके 'ारा (\$थान के नाम) पर इस योजन के िलिए अपनाई गयी रीित म; अथा1त्.....कपड़//चीज/ क% धुलाई नह@ क% जानी चािहिए/कपड़//चीज/ क% धुलाई क% िक्या नह@ अपनाई जानी चािहिए ।

छावनी

बोड1

काया1लय

सं^या

.....

..

तारीख.....

भवदीय,
मु^य अधिशासी
अधिकारी
.....
छावनी बोड1
(बोड1 क%
मुहर)

(*जो आवयक न हो उसे काट द;।)

प सं' या - 25

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41)

क धारा 168 के अधीन सूचना

सेवा म;,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

बोड1 क% राय है िक संQामक/सांसिग1क रोग फैलने के
 िनवारण/रोकथाम के िलए आपक% इमारत/इमारत के िकसी
 भाग क% सफाई और िवसंQामण/ इमारत के फश1/इमारत क% चीज/ को
 हटाना आवYयक है;

अतः मN, छावनी बोड1 का मु^य अधिशासी अधिकारी होने
 क% हैिसयत से आपको छावनी

अधिनयम, 2006 क% धारा 168 के अनुसरण म; इस सूचना क% ाि4 के
 िदन क% अविध के अंदर नीचे िविनिद1e

इमारत/इमारत के भाग क% सफाई/िवसंQामण करने/भवन के फश1/ भवन
 क% चीज/ को हटाने क% सूचना देता हजं।

----- (यहाँ 9यौरा दीिजिए)

(ािधकरण : छावनी बोड1 संकbप सं^या ----- िदनांक -----)

छावनी बोड1 काया1लय
 अधिकारी सं^या -----
 बोड1 िदनांक-----
 क% मुहर)

भवदीय,
 मु^य अधिशासी
 -----छावनी
 (बोड1

प सं' या - 26

छावनी अधिनयम, 2006 (2006
 का 41)

क धारा 169 क उप-धारा (1) के
 अधीन सूचना

सेवा म,;

.....

.....
.....
महोदय/महोदया,

बोर्ड का राय है कि संकामक/सांसिगक रोग..... फैलने के निवारण/रोकथाम के लिए म; किथत आपके वािमिव वाले सायबान/झोपड़ी और उसका साममी को न किया जाना आवश्यक है;

१Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

27

अतः, म, छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी होने का हैसियत से आपको छावनी अधिनियम, 2006 का धारा 169 के अनुसरण म; सूचना देता हं कि आप इस सूचना का ाि के *..... घंटे/दिन का अविध के अंदर पूव. *सायबान/झोपड़ी और उसका साममी को न कर द;।

(ाधिकरण : छावनी बोर्ड संकपसंया ----- तारीख -----)

बोर्ड कायालय
अधिकारी संया -----
----- तारीख -----
मुहर)

भवदीय, छावनी
मुख्य अधिशासी
छावनी बोर्ड --
(बोर्ड का

प संया - 27

छावनी अधिनियम, 2006 (2006

का 41)

क धारा 169 क उप-धारा (2) के
अधीन सूचना

सेवा म;

.....
.....
.....
.....
.....
.....
महोदय/महोदया,

बोड1 केअपय& क% हैिसयत से, मेरा समाधान हो गया है िक
 *संQामक/सांसिग1क रोग फैलना िनवाOरत करने के
 योजन के िलए म; ि\$थत, आपके \$वािमTव/अधभोग वाली
 सायबान/झोपड़ी*को तTकाल नe करना आवYयक है;

अतः, अब, मN, ...छावनी बोड1 के अपय& क% हैिसयत से,
 छावनी अधिनयम, 2006 क% धारा 169 क% उपधारा (2) के अनुसरण म;,
 आपको सूचित करता हूँ िक आपके \$वािमTव/अधभोग वाली उ.
 सायबान/झोपड़ी* तुरंत
 नe कर दी जाए। उ. सायबान/झोपड़ी*को नe करने म; आपके असफल रहनेक%
 दशा म;, इसे बोड1 इस सूचना क% ाि4 के
 ----- ** घंटो के अंदर नe कर देगा।

भवदीय,
 अपय&
 छावनी बोड1 -----
 (बोड1 क% मुहर)

छावनी बोड1 काया1लय
 सं.-----
 िदनांक -----
 (*जो आवYयक न हो, उसे काट द;।)
 (**यहाँ अविध का उबलेख कर;, जो िक 2 घंटे से कम न हो)

प सं'या - 28

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41)
 क धारा 176 क उपधारा (1) के खAड (ख) के अधीन सूचना
 सेवा म;,

महोदय/महोदया,

अधोह\$ता&री क% राय है िक..... म; ि\$थत आपके
 \$वािमTव/िनयंणाधीन कूप/तालाब (अBय
 \$थान) के पानी को यिद पीने के काम म; लाया गया तो.....रोग फैलने
 का खतरा पैदा होगा/फैल जाएगा।

अतः, अब मN,.....छावनी बोड1 के मु^य अधशासी अधिकारी क%
हैसियत से, छावनी अधिनयम, 2006

(2006 का 41) क% धारा 176 क% उपधारा (1) के ख□ड (ख) के अनुसरण म;
आपको, सूचना देता हं कि आप इस सूचना

क% ाि4 क% तारीख से* *घंटे/िदन के अBदर, उ.

कूप/तालाब/..... (अBय \$थान) से जनता

को पानी का योग करने/रोकने के िलए िननिलिखत कदम उठाएं।

(यहां उठाए जाने वाले उपाय/ का िववरण द;।)

(1)

(2)

¹Hkkx IIμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

29

(3)

भवदीय,

.....

छावनी बोड1 काया1लय

सं^या

मु^य अधशासी अधिकारी

..... छावनी बोड1

तारीख

(बोड1

क% मुहर) (*जो लागू न हो उसे काट द;।)

प सं^या - 29

छावनी अधिनयम, 2006

(2006 का 41)

क धारा 177 के अधीन

सूचना

सेवा म;,

.....

.....

.....

.....

.....
.....
महोदय/महोदया,

यह 0रपोट1 िमली हN िक क% मृत्यु
..... संQामक/सांसिग1क रोग से हो गयी है।

अतः, अब मN,.....छावनी बोड1 के मु^य अधिशासी अधिकारी क%
हैिसयत से, छावनी अधिनयम, 2006 क% धारा 177 के ख□ड (क)/ख□ड
(ख) के अनुसरण म; आपको, सूचना देता हं :

*(क) उसे शव गृह ले जाएं।

*(ख) शव को शवगृह पर, *दफनाए जाने/जलाए
जाने/ले जाने के योजन के िलए, शव को हटाएं।

भवदीय,

.....
छावनी बोड1 कायालय

सं^या

मु^य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोड1

तारीख

(बोड1 क% मुहर)

(*जो आवYयक न हो, उसे काट द;।)

प सं^या - 30

छावनी अधिनयम, 2006 (2006

का 41)

क धारा 182 क उपधारा (1) के

अधीन सूचना

सेवा म;,
.....
.....
.....
.....

.....
.....
महोदय/महोदया,

यह िवरास करने के पया14 कारण हN िक आप

संQामक/सांसिग1क रोग से पीडित हN:

अतः, अब मN,.....छावनी बोड1
.....के अ\$पताल के िचिकTसा अधिकारी/भारी
िचिकTसा अधिकारी क% हैिसयत से, छावनी अधिनयम, 2006 क% धारा
182 क% उपधारा (1) के अनुसरण म; आपको, सूचना देता हजं िक आप
..... (तारीख) को बजे (समय) िचिकTसा
परी&ा के िलए हाजिर ह/। आप, भारी िचिकTसा अधिकारी क% अनुWा
के िबना अ\$पताल/औषधालय से नह@ जाएंगे।

भवदीय,

.....
छावनी बोड1 कायालय

सं^या

िचिकTसा अधिकारीतारीख अ\$पताल

(मुहर)

¹Hkkx IIμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

31

प संया - 31

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41)

क धारा 190 के अधीन सूचना

सेवा म;

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
महोदय/महोदया,

आपके \$वांमिाव/िनयंणाधीनि\$थत लोक जल दाय के
□ोत, (कूप आद का नाम) िजनका पानी पीने के योजन/ के काम म; आता
है:-

*(क) अsछी हालत म; नह@ हN/से गाद/कचरा/सड़ी गली पि□यां आद
क% सफाई नह@ क% गई हN,

*(ख) को नीचे िविनिद1e रीित से संदूषण से बचाए रखा जाना
चाहिए:-

.....
.....

*(ग) पानी पीने के योजन के िलए अनुपयु. है,
अतः, अब मN, ...छावनी बोड1 के मु^य अधशासी अधिकारी क%
हैिसयत से, छावनी अधिनयम, 2006 क% धारा 190 के अनुसरण म;, आपको
सूचना देता हं:

*(क) पूवq. *कूप/जल दाय को अsछी हालत म; बनाए रख;/म; से
गाद/कचरा/सड़ीगली पिCय/ को साफ करे।

*(ख) पूवq. कूप/जल दाय को दूषित होने से ऐसी रीित से बचाए रख; जो
नीचे िविनिद1e क% गई हN :

.....
.....

(दूषण से बचाए रखने के िलए अपनाई जाने वाली रीित यहां िविनिद1e
कर;)।

*(ग) लोक साधारण क% उस कूप/जल दाय के पानी का उपयोग करने
के िलए

सूचना क% ाि4 के िदन के अBदर नीचे
िविनिद1e रीित से पहAंच िनवाOरत करने के उपाय कर;।

.....
.....

(यहां िनवाOरत करने क% रीित िविनिद1e कर;)

भ

वदीय

छावनी बोड1 कायालय

सं^या

मु^य अधशासी अधिकारी

..... छावनी बोड1

तारीख

(बोड1 क% मुहर)

(*जो आवयक न हो, उसे काट द;।)

प संया - 32

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41)

क धारा 192 के अधीन सूचना

सेवा म;,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

यह तीत होता है िक, आपके \$वािमिाव/अधभोग वाली

..... इमारत/भूमि म; शुM जल क% समुचित आपूर्ति1 नह@ है,

अतः, अब मN, ... छावनी बोड1 के मु^य अधशासी अधिकारी के प म;, छावनी अधिनयम, 2006 क% धारा 192 के अनुसरण म; आपको उस इमारत/भूमि के \$वामी/अधभोगी के

प म; सूचना देता हं िक इमारत/भूमि म; नीचे

िविनिद1e आकार और िक\$म क% संचार पाइप और उ. भवन के दखलकार -यि.य//उ. भूमि म; िनयोिजित -यि.य/ क% आवयकता के िलए

..... (यहां लोक जल दाय का िोत िविनिद1e कर;) से जल क% पया14 मा ा4 करने के िलए -यव\$था क% जानी चाहिए।

.....

.....

(यहां संचार पाइप/ के आकार और िक\$म/ क% िविशिेयां िविनिद1e कर;)।

भवदीय,

.....

छावनी बोड1 काया1लय

सं^या

मु^य अधशासी अधिकारी

..... छावनी बोड1

तारीख

(बोड1 क% मुहर)

1Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

33

प सं^या - 33

छावनी अधिनयम, 2006

(2006 का 41)

क धारा 195 के खAड (क) के
अधीन सूचना

सेवा म;,

*

.....अधिकारी

.....

.....छावनी बोड1

मN, छावनी अधिनयम, 2006 क% धारा 195 के ख□ड (क) के अनुसरण म;
भूमि/भवन (भूमि/भवन का िववरण) का
\$वामी/अधभोगी/पयेदार होने क% हैिसयत से, छावनी अधिनयम, 2006
क% धारा 195 के ख□ड (ख) के अनुसरण म; आपको सूचना देता हजं िक,
पाइप//नाल//अBय मरमत काय1 न करने के कारण उ. भूमि/भवन म; जल
क% बरबादी हो रही हN।

कृपया इस ओर पयान द;।

भवदीय,

ह\$ता&र.....

नाम

.....

..... पता

.....

.....

\$
था
न:
ता
री
ख
:

(*अधिकारी का पदनाम)

प सं'या - 34
छावनी अधिनयम, 2006
(2006 का 41)
क धारा 195 के खAड (ग) के
अधीन सूचना

सेवा म;,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

आपने, -

(क) अपने \$वािमिटव/दखल के अधीन
भूमि/इमारत क% बा9त

जलकर/जलदर/भार** को अदा करने म;

उपे&ा क% है, और आपको िबल िदए जाने क% तारीख से

..... िदन से अधिक क% अविध बीत गई हN,

(ख) छावनी अधिनयम, 2006 क% धारा 195 के ख□ड (ख) के अधीन यथा
ाधिकृत परी&ा/जांच करने के योजनके िलए बोड1 के अधिकारी/कम1चारी

को तारीख को अपने \$वािमTव/दखल के अधीन
 भूमि पर/इमारत म; वेश करने क% इजाजत नह@ दी
 है/निवाOरत िकिया,

(ग) अपने \$वािमTव/दखल के अधीन
 भूमि/इमारत म; जानबूझकर/उपे&ा से जल का दु
 पयोग/अप-यय िकिया है।

(घ) अपने \$वािमTव/दखल के अधीन
 भूमि/इमारत म; जल संकम1 से जल वािहत करने वाले मीटर/पाइप/ट/टी को
 जानबूझकर/उपे&ा से &ितm\$t िकिया है/नुकसान पहAंचाया हN,

(ड) आपके \$वािमTव/दखल के अधीन
 भूमि/इमारत के जल दाय का कनेशन िजन नल/, ट/िटय/, िफिटंग/ से है,
 मरमत के लायक नह@ है और उसके कारण जल क% बरबादी हो रही है।

**भार/ क% िक\$म िविनिद1e कर;।

अतः, अब मN,.....छावनी बोड1 के मु^य अधिशासी अधिकारी क%
 हैिसयत से, छावनी अधिनयम, 2006 क% धारा 195 के ख□ड (ग) के
 अनुसरण म; आपको सूचना देता हजं िक इस सूचना क%

¹Hkkx IIμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

35

ाि4 के िदन क% अविध के अBदर पूवq.
 भूमि/इमारत के जल दाय को बBद कर िदया जाएगा/काट िदया जाएगा।
 भवदीय

.....
 छावनी बोड1 काया1लय
 सं^या

मु^य अधिशासी अधिकारी
 छावनी बोड1

तारीख

(बोड1 क% मुहर)

छावनी अधिनियम, 2006
(2006 का 41)
क धारा 242 के अधीन
सूचना

सेवा मः,

मु^हय अधिशासी अधिकारी,
 छावनी बोड¹

.....

छावनी अधिनियम, 2006 क^० धारा 242 के अनुसरण मः, आपको सूचित किया जाता है कि, म^हने/हमने, बोड¹ के, संक^०प सं तारीख /आपके प सं तारीख द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार नामक इमारत को बनाने/पुनः बनाने का काम पूरा कर लिया है।

कृपया इसे नोट कर लः।

(यह सूचना प^०कार द्वारा इमारत को बनाने/पुनः बनाने के 30 दिन के अ^०दर दी जानी चाहिए)

भवदीय,

ह^०ता^०र.....

.....

नाम

.....

.....

पता

.....

.....

\$
 था

नः
ता
री
ख
:

प सं'या - 36

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41)

क धारा 248 क उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा मः,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

यह विचार किया गया है कि, आपके \$वांमिव मः/दखल मः/पये पर लिए गए, नीचे अनुसूची मः विनिर्दिष्ट इमारत का (जिसे इसके पता पर उ. इमारत कहा गया है) बनाया जाना/पुनः बनाया जाना छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा 247 क उपधारा (1) के अधीन अपराध है,

अतः, अब मः,.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी क हैसियत से, छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क धारा 248 क उपधारा (1) द्वारा दिये गए/का योग करते हुए, आपको सूचना देता हूँ कि उ. इमारत का बनाया जाना/पुनः बनाया गया भाग देहा दिया जाय और उ. भवन को उ. अनुसूची के \$तंभ (4) मः विनिर्दिष्ट रीति मः पुनः बनाया जाए।

अनुसूची

इमारत का नाम	इमारत का अधिनयम क	इमारत
के देहाने	अवस्थान धारा 247 के	और
पुनः बनाए	उल्लंघन मः \$वामी/	

जाने के बारे में;
 दखलकार/पयेदार
 विनिर्देशन
 द्वारा प्रारम्भ किया गए
 संनिर्माण के 9वाँ

(1) (2) (3) (4)
 (अधिकरण: छावनी बोर्ड के संकल्प सं तारीख
 जहाँ स्थान सिविल & से बाहर है) भवदीय,

छावनी बोर्ड कायालय
 संख्या

मुख्य अधिशासी अधिकारी
 छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड का मुहर)

Hkkx Hk.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
 37

प संख्या - 37

छावनी अधिनियम, 2006 (2006
 का 41)

क धारा 248 क उपधारा (2) के
 अधीन सूचना

सेवा में,

.....

महोदय/महोदया,

कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी ने, अपने आदेश सं
 तारीख द्वारा, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क धारा

248 क% उपधारा (2) के अधीन जारी िकए गए बोड1 के उस आदेश को िनलंिबित कर िदिया है िजसके 'ारा बोड1 ने नीचे क% अनुसूची म; िविनिद1e इमारत (िजससे इसम; इसके प>ात् उ. इमारत कहा गया है) को* बनाने/पुनः बनाने क% मंजूरी दी थी:

और, उ. इमारत के उ.* बनाए जाने/पुनः/बनाए जाने को रोकना आवYयक है,

अतः, अब मN,.....छावनी बोड1 के मु^य अधिशासी अधिकारी क% हैिसयत से, छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क% धारा 248 क% उपधारा (2) 'ारा दC शि.य/ का योग करते हAए, आपको उ. इमारत को* बनाया जाने/पुनः बनाए जाने को रोकने/उ. इमारत को उ. अनुसूचीके \$तभ (4) के िविनिद1e रीित म; ढ़हाने/पOरवत1न करने/पुनः पOरनमा1ण करने क% सूचना देता हं।

* जो आवYयक न हो, उसे काट द;।

अनुसूची

इमारत का नाम	इमारत का \$वामी/ दखलकार अव\$थान पयेदार 'ारा 'ारा	इमारत का \$वामी/ दखलकार कमान के मु^य-समादेशक अधिकारी
	ारभ िकए गए संिनमा1ण के 9यौरे िजसम;	सुझाए गए अपांतरण/ के अनुसार यह रीित

इमारत को ढ़ाना/

पOरवत1न करना/पुनः

बनाया जाना चािहिए।

(1)

(2)

(3)

(4)

.....
.....
.....

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कायालय

संख्या

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड का मुहर)

प संख्या - 38

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

का धारा 252 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

आपने मुख्य अधिशासी अधिकारी का लिखित अनुष्ठा के बिना,
अपनी इमारत में निम्नलिखित संरचनाओं को जोड़ा है/सिन्माण किया है,

(1)

(2)

(3) (यहां भवन का

संरचनाएं विनिर्दिष्ट कर;)

(4)

अतः, अब मैं,..... छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी
अधिकारी का हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) का धारा
252 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि आपको सूचना आर्क के
..... दिनों के अंदर पूर्व जोड़े गए भाग/संरचना/अधिसूचना को हटाना
देना चाहिए।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कायालय

संख्या

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड का मुहर)

(*गली/नहर/नाले/कुएं/तालाब में; & िपत है/का अतिमण करती है।

**जो आवश्यक न हो, उसे काट दें।

१Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

39

प संख्या - 39

छावनी अधिनियम, 2006

(2006 का 41)

क धारा 253 के अधीन

सूचना

सेवा में,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

आपने अधोहस्ताक्षरी का लिखत अनुष्ठा के बिना,
..... स्थान में; पर
(लोक मलनाल, नाली पुलिया, जल सरपी या जल नल रेखा का नाम) कोई
संरचना/इमारत बना ली/पुनः बना ली है:

अतः, अब मैं.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी
अधिकारी का हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) का धारा
253 के अनुसरण में; आपको इस सूचना ा 4 के दिन के अंदर
उसे िगराने का सूचना देता हूं। ऐसा न करने पर इसे बोर्ड 'ारा आपके
जोखिम और खर्च पर हटा दिया जाएगा।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कायालय

संख्या

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड का मुहर)

प संख्या - 40

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

क धारा 254 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि-

*(क) आपके इमारत/अधिभोग के अधीन इमारत

भूमि ने बरसाती पानी के एकत्र और बहाने के लिए
नालियां और पाइप अच्छी हालत में नहीं हैं,

*(ख) आपके इमारत/अधिभोग के अधीन इमारत

/भूमि और

नाली/मलनाल साधन नहीं हैं।

के (नाली/मलनाल को विनिर्दिष्ट कर;) बीच कोई समुचित कनेक्शन /संचार

अतः, अब मैं छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी
अधिकारी का हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) का धारा
254 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि उ. नालियां और पाइप
अच्छी हालत में बनाए रखी जानी चाहिए और उ. इमारत/भूमि से पानी का

निकास

कारगर

प से यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्य, आपके द्वारा इस सूचना क% ा 4 के दिन/ के अंदर किया जाना चाहिए:

(

1

)

(

2

)

(

3

)

भ

वदीय, ...

छावनी बोर्ड कायालय

संख्या

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड क% मुहर)

(*जो आवश्यक न हो, उसे काट द;)

१Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

41

प संख्या - 41

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

क धारा 261 क उपधारा (2) के अधीन सूचना

सेवा म;,

.....

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी के पर्याप्त म; यह बात लाई है कि-

*(क) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली

भूमि म; सीमा

दीवार/झाड़बडी/बाड़ अनुपयु./असुबदर/यापेय योग्य है।

*(ख) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली भूमि पर नीचे विनिर्दिष्ट सामग्री वगैरह आकार क% सीमा दीवार/झाड़बडी/बाड़ का संनिर्माण करना आवश्यक है।

*(ग) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली

भूमि पर, सीमा

दीवार/झाड़बडी/बाड़ को अच्छी हालत म; बनाए रखना आवश्यक है।

अतः, अब म, ... मुख्य अधिशासी अधिकारी क% हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क% धारा 261 क% उपधारा (2) के अनुसरण म;, आपको सूचित करता हूं कि इस सूचना क% 4 के दिन/ के अंदर:

*(क) पूर्व. भूमि पर सीमा दीवार/झाड़बडी/बाड़ हटा दी जाए।

(ख) पूर्व. भूमि पर नीचे विनिर्दिष्ट सामग्री वगैरह/आकार क% सीमा दीवार/झाड़बडी/ बाड़ का संनिर्माण किया जाए।.....

(यहां सामग्री, वगैरह या आकार के बारे म; विनिर्देश द;।

*(ग) पूर्व. भूमि पर सीमा दीवार/झाड़बडी/बाड़ को अच्छी हालत म; बनाए रखा जाए।

भ

वदीय, ...

छावनी बोर्ड कायालय

संस्था

मु॒य अधशासी अधिकारी
..... छावनी बोड1

तारीख

(बोड1 क% मुहर)

(*जो आव॒यक न हो, उसे काट द;)

प सं॒या - 42

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41)

क धारा 262 के अधीन सूचना

सेवा म;,,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

बोड1 क% राय है िक, आपके \$वा॒मि॒व/अधभोग वाली

..... भू॒मि पर खड़े

वृ&/वृ&/ को (यहां

कारण बताएं) कारण से

िगराना/छांटना/शाखाओं का कतरना आव॒यक है,

अतः, अब मN,.....छावनी बोड1 के मु॒य अधशासी

अधिकारी क% है॒सयत से, छावनी

अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क% धारा 262 के अनुसरण म;, आपको सूचना

देता हं॒ं िक इस सूचना क% ा॒ि4 के

..... िदन/ के अBदर आपक%

भू॒मि पर खड़े वृ& (वृ&/) को िगरा

िदया/छांट िदया/शाखाओं को कतर िदया जाना चा॒िहए।

(ा॒धिकार:- छावनी बोड1 संक॒प सं॒या तारीख

.....)

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कायालय

संख्या

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड का मुहर)

१Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

43

प संख्या - 43

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

क धारा 264 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी का राय है कि, आपके स्वाधिनियम/ अधिभोग वाली
..... स्थित खदान का खनन/पत्थर/मिट्टी का हटाया
जाना

..... (यहां मृदा से हटाई जाने वाली अवशेष सामग्री विनिर्दिष्ट कर;)। पड़ोस में; निवासी/जाने वाले -यि.य/ के लिए खतरनाक है/यूएस;स है/यूएस;स हो जाना संभाव्य है:

अतः, अब मैं,..... छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी का हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) का धारा 264 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि, आपके स्वाधिनियम/ अधिभोग वाली स्थित भूमि में; खतरे का निवारण करने/पैदा हुए यूएस;स/संभाव्यतः पैदा हो जाये वाले यूएस;स को दूर करने के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:-

.....
.....
(यहां उठाए जाने वाले कदम/ को यहां विनिर्दिष्ट कर;)
.....
.....
.....
.....

भवदीय,

.....
छावनी बोर्ड का कार्यालय
संख्या

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड का मुहर)

प संख्या - 44
छावनी अधिनियम, 2006
(2006 का 41)
क धारा 280 के अधीन
सूचना

सेवा में,
.....
.....
.....
.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

बोर्ड का यह समाधान हो गया है कि, बोर्ड द्वारा मंजूरी का गई अनुविधि के अधीन के योजन के लिए आपके विनिर्दिष्ट/अधिभोग वाला नामक स्थान बयूस है/से यह संभावित है कि वह जीवन/विकास/सपिच के लिए खतरा हो जाएगा।

अतः, अब मN.....छावनी बोड1 के मु^य अधशासी
अधिकारी क% हैसियत से, छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क% धारा
280 के अनुसरण म; आपको सूचना देता हजं िक पूवq. \$थान का उपयोग
..... से तारीख से बBद कर
द;/इसे िकसी Bयूस;स/खतरे से मु.

करने के िलए उसम; िननिलिखत पOरवत1न/अभवृिCयां/सुधार कर;।
.....
.....

(यहां िकए जाने वाले पOरवत1न/, अभवृिCय/ और सुधार के 9यौरे द;।

(ाधिकार: छावनी पOरषद के संकbप सं तारीख)

भवदीय,

.....
छावनी बोड1 काया1लय
सं^या

मु^य अधशासी अधिकारी
..... छावनी बोड1

तारीख

(बोड1 क% मुहर)

¹Hkkx IIμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
45

प सं^या - 45

छावनी अधिनयम, 2006 (2006

का 41)

क धारा 292 क उपधारा (1) के

अधीन सूचना

सेवा म;,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

बोर्ड1 ने तारीख क% लोक सूचना 'ारा यह िनदेश
िदया था िक छावनी के &े म; झ/पिड़य//इमारत/ क%
छत;और बाहरी दीवार;, बोर्ड1 क% िलिखत अनुWा के िबना बनाई नह@
जाएंगी या घास, चटाईयां, पिCय/ या अBय जलनशील सामिमय/ से न तो बनाई
जाए और न नवीकृत क% जाएं, और

अपने मु^य अधिशासी अधिकारी क%िलिखत अनुWा के िबना, अपनी
झ/पड़ी/इमारत क% छत/दीवार (दीवार/) का नवीकरण घास, चटाईयां, पिCय/
या अBय जलनशील साममी से िकिया है,

अतः, अब मN, छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क% धारा 292
क% उपधारा (1) 'ारा दC शि.य/ का योग करते हAए मN
..... छावनी बोर्ड1 के मु^य अधिशासी
अधिकारी क% हैिसियत से, आपको सूचना देता हजं िक, आप इस सूचना
क% ाि4 क% तारीख से 15 िदन के अBदर अपनी झ/पड़ी/इमारत क%
छत//दीवार/ को हटा द;।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड1 कायालय
सं^या

मु^य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड1

तारीख

(बोर्ड1 क% मुहर)

प सं^या - 46

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41)

क धारा 292 क उपधारा (2) के अधीन सूचना

सेवा म;,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया

आपक% झ/पड़ी/इमारत क% बाहरी दीवार;/छत (छत;), मु^य अधशासी
अधिकारी क% मंजूरी से/के िबना घास,

चटाईय/, पC/ जलनशील पदाथ□ से
बनाई गई हN,

और मु^य अधशासी अधिकारी क% यह राय है िक आपक%
झ/पड़ी/इमारत क% बाहरी (दीवार/)/छत (छत/) को
जलनशील पदाथ□ से बना होने के कारण हटाया जाना चाहिए,

अतः, अब मN.....छावनी बोड1 के मु^य अधशासी
अधिकारी क% हैिसयत से, छावनी

अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क% धारा 292 क% उपधारा (2) के अनुसरण
म;, सूचना देता हं िक, इस सूचना क% ाि4
क% तारीख से िदन के अBदर, आपको
झ/पड़ी/इमारत क% बाहरी दीवार;/छत; हटा

दी जाए।

आपको, और यह सूचना भी दी जाती है िक, उ. सामmी क% मूल
लागत के
प म;

का ितकर तय िकिया गया है और वहिदन के अBदर
बोड1 के काया1लय से िलया जा सकता है।

भवदीय,

.....

छावनी बोड1 काया1लय

सं^या

मु^य अधशासी अधिकारी

..... छावनी बोड1

तारीख

(बोड1 क% मुहर)

(*जो भी आवYयक न हो, उसे काट द;)

**यहां अनुपालन के िलए उचित अविध िलख;)

'Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

47

प सं'या - 47

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

क धारा 297 के अधीन सूचना

सेवा म;,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

मु^य अधिशासी अधिकारी, छावनी बोर्ड क% यह राय है िक, आपके
\$वािमTवाधीनभागत:/ \$वािमTवाधीन

इमारत/दीवार/कुआं/तालाब/हौज/जलाशय/गड्ढा/िकिनारा/वृ& (जो इससे
उपाबM सारणी म; विण1त है) जज1र हालत म; है

और पड़ोस म; होकर जाने वाले/काम करने वाले -यि.य/ के िलए Bयूस;स
खतरनाक है ।

अतः, अब मN,.....छावनी बोर्ड के मु^य अधिशासी
अधिकारी क% हैिसयत से, छावनी

अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क% धारा 297 के अनुसरण म;, सूचना देता
हजं िक,

.....*** को/के इस सूचना क% ाि4

..... िदिन के अBदर, हटाया जाए/उसक%

मरमत संर&ा क% जाए, ऐसा करने म; चूक

करने क% दशा म; उ. काय1, छावनी बोर्ड 'ारा आपके जोिखम और खच}
पर िकिया जाएगा।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड काया1लय

सं'या

मु॒य अधशासी अधिकारी
..... छावनी बोड1

तारीख (बोड1 क% मुहर)

(*िकिराएदार क% दशा म; “आपके” श9द/ का लोप िकिया जाएगा।

**जो लागू न हो, उसे काट द;।

***यहां \$वामी/िकिराएदार क% ओर से क% जाने वाली कार1वाई िविनिद1e कर;)

प सं॒या - 48

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41)

क धारा 298 के अधीन सूचना

सेवा म;,,

.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है िक इमारत सं./खाली
कलाट सं.

िन□योग/िववादm\$त \$वािमTव/..... के कारण अधभोग

म; नह@ है, और िनकम;/िवsछंखल

-यि./-यि.य/ के या ऐसे -यि.य/ के िजनके जीवन िनवा1ह के XYयमान साधन

नह@ हN/जो अपनी बावत समाधानद लेखा

जोखा नह@ दे सकते हN/इक□ा होने का \$थान हो गई है/जुए के िलये,

अनैितक योजन/ के िलये या (अBय योजन) के िलये

काम म; लाई जा रही है और या उसकेकारण Bयूस;स होना संभा-य है।

अतः, अब मN.....छावनी बोड1 के मु॒य अधशासी

अधिकारी क% हैिसयत से, छावनी

अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क% धारा 298 के अनुसरण म;, आपको सूचना

देता हं िक, इस सूचना क% ाि4 क%

तारीख से िदन के अBदर, उ. इमारत सं.
 खाली कलाट सं.
 को सुरि&त करने और बाड़ा लगाने क% सूचना देता हं।
 भवदीय,

.....

छावनी बोड1 काया1लय
 सं^या

मु^य अधशासी अधिकारी
 छावनी बोड1

तारीख

(बोड1 क% मुहर)

(*अBय योजन िविनिद1e कर;।

**जो लागू न हो, उसे काट द;।

¹Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
 49

प सं^या - 49

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41)

क धारा 308 के अधीन सूचना

सेवा म;,

महोदय/महोदया,

बोड1 ने, नीचे सारणी म; िविनिद1e काय1 को (िजसे इसम;
 इसकेप>ात्, उ. काय1 कहा गया है) अपने हाथ म; ले िलिया है, और उ. योजन
 के िलए बोड1 क% ओर से उ. काय1 को कर रहे अधकाOरय/, कम1चा
 चाOरवृBद और कम1कार/ के िलए, आपक% भूमि

..... (यहां सामmी क%
 वृिC िविनिद1e कर;) अथा1त िमयी, बजरी आद जमा करने के िलए उ.
 संवग1 तक पहAंचने के िलए

..... (यहां कोई अBय योजन िविनिद1e कर;)
के िलए वेश करना आवYयक है,

अतः, अब मN,.....छावनी बोड1 के मु^य अधशासी
अधिकारी क% हैिसयत से, छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41) क% धारा
308 के अनुसरण म;, आपको सूचना देता ह्ं िक, बोड1 के अधिकारी
कम1चारवृBद और कम1कार पूवq. योजन/ के

िलए, तारीख
(यहां तारीख िविनिद1e कर; जो \$तािवत िविe से तीन िदन से पूवqCर न
हो) को आपक% भूमि म; वेश कर;गे। आपसे अनुरोध है िक आप अपने
\$वािमTव/दखल के अधीन पूवq. भूमि के

..... (यहां &े का उबलेख कर;)
भाग म; बाड़ लगा ल; िजससे िक बोड1 के अधिकारी, कम1चारीवृBद, और
कम1कार/ के उ. काय1 का िन□पादन करने म; समथ1 हो सक; ।
(सारणी िनिद1e काम के िववरण के साथ)

भवदीय,

.....
छावनी बोड1 कायालय
सं^या

मु^य अधशासी अधिकारी
..... छावनी बोड1

तारीख

(बोड1 क% मुहर)

प सं^या - 50

छावनी अधिनयम, 2006 (2006 का 41)

क धारा 320 के अधीन सूचना

सेवा म;,
.....
.....
.....
.....

.....

.....

विषय: छावनी बोर्ड द्वारा जारी सूचना का
अनुपालन न होना।

महोदय/महोदया,

आप छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क% धारा 320 के
अनुगत बनाए गए नियम/उपनियम (नियम/उपनियम का विवरण) के
अनुगत इस कार्यालय के पंजीकरण सं. दिनांक
..... क% सूचना/आदेश जिसमें; आपको
..... (चूककता से अपेक्षित कारवाई का
विवरण) का निदेश दिया गया था, अनुपालन करने में असफल रहे हैं।

चूंकि आपके द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क% धारा
320 तारीख को दाखिल क% गई अपील, अपीलीय
ाधिकरण द्वारा आदेश सं. तारीख द्वारा खारज
क% गई हैं।

अतः अब आपको छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क% धारा 320
के अनुगत उपयुक्त सूचना/आदेश/मांग का इस सूचना क% ा 4 के 10
दिन के अंदर अनुपालन करने का निदेश दिया जाता है, ऐसा न करने पर
उपयुक्त कार्य बोर्ड द्वारा आपके जोखिम और खर्च पर किया जाएगा।
(ाधिकार: छावनी बोर्ड संकल्प सं. तारीख
....., यदि सूचना/आदेश/मांग बोर्ड के अनुरोध पर जारी किया
गया था)।

भ

वदीय, ...

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड क% मुहर)

[फा. सं. 14(1)/2016-डी(सू एंड सी)]

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2017

S.R.O. 2(E).—Whereas the following draft of certain rules relating to the Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 2016 was published as required under section 346 of the Cantonment Act, 2006 (41 of 2016), vide notification of the Government of India in the Ministry of Defence, S.R.O. 10(E), dated the 5th August, 2016, in the Gazette of India, Part-II, Section 4, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said notification;

And whereas no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government, even after the expiry of a period of sixty days;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 346 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1.Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 2017.

2.Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a)“Act” means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);

(b)“Form” means Form annexed to these rules.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3.Form of notices.—All notices required to be served on any person under the Act shall be in the Forms annexed to these rules.

4.Manner of service of notices.—Every notice issued under the Act to any person shall be served or presented-

(a)by giving or tendering the notice or sending it by post, to such person;

(b)if such person cannot be found, by affixing the notice on some conspicuous part of his last known place of abode or business, if within the cantonment, or by giving or tendering the notice to some adult member or servant of his family or by causing it to be fixed on some conspicuous part of the building or land, if any, to which it relates.

5.Application of provision of sections 316 to 321.—The provisions of sections 316 to 321 of the Act shall apply to every notice issued under these rules.

FORM No. 1
Public notice under section 76 of the Cantonments
Act, 2006 (41 of 2006)

Whereas the notice on preparation of assessment list as required under section 76 having been duly given on (date)

..... It is hereby notified as required under section 76 of the Cantonments Act, 2006 that the Chief Executive Officer will commence hearing of objections from date (There should be at least thirty day's gap between the date of publication of notice and date of hearing).

This notice is being displayed at followings prominent places as required under section 319 of the Cantonments Act, 2006.

1

.....

....

2

.....

....

3

.....

....

4

.....

....

5

.....

....

6

.....

....

Office of the Cantonment Board No. Dated

.....

FORM No. 2

**Individual notice under section 76 of
the Cantonments Act, 2006 (41 of
2006) To,**

.....
.....

Subject: Revision of Assessment list-Reg.

Sir/Madam,

As required under section 76 of the Cantonments Act, 2006, notice is hereby given to you that the Chief Executive Officer has prepared a new Assessment list, public notice of which has
'Hkkx Ilμ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

53

already been published on (date) and that the assessment of your property known as has been increased from

Rs. per annum. The revised assessment and valuation will be considered by Chief Executive Officer on

2. If you have any objection to the above assessment, you should make the same in writing before (date) stating in what respect the assessment is disputed.

3. Any objection received from you after (date) will not be considered by the Chief Executive Officer.

Office of the Cantonment Board

No

Dated

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

Details of Assessment / Valuation

1.....

.....

2.

.....

....

3.

.....

....

FORM No. 3
Notice under sub-section (2) of section 79 of
the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

.....

.....

.....

Sir/Madam,

Whereas it has become necessary to amend the assessment list in the following manner and on the grounds specified below:

(a) By inserting/omitting the name (s) of Shri/Smt/Km
 whose name ought to have been inserted/omitted in respect of the property known as

(b) By inserting/omitting the property known as
 which ought to have been or ought to be inserted or omitted;

(c) By altering the assessment of property known as

.....

which was erroneously valued or assessed through fraud, accident or mistake on the
 administration or assessee;

(d) On re-valuation/re-assessment, the value of the property known as
 has increased over the last assessment from
 Rs.

..... to Rs.

.....;

(e) By changing the name of the occupier from Shri

.....

to Shri in respect of property known as
, where the tax is payable by the occupier;

Please take notice that if you have any objection to above amendments, you should submit
 your

objection to the Chief Executive Officer before

(The time limit stated should not be less than 30 days from the date of notice).

Office of the Cantonment Board

Yours sincerely,

No Dated

FORM No. 4
Notice under section 82 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

The Chief Executive Officer,
Cantonment
 Board,

Sir/Madam,

I/We hereby give notice as required by section 82 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) that I/We have completed the erection/re-erection of the building/occupied the building w.e.f.

१Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

55

.....on the plot No.
Situatd at Street/Road
 in pursuance of sanction granted by the Board vide C.B.R. No..... dated
 / the Chief Executive Officer, vide letter No. dated

(The time limit for giving such notice is 30 days from the date of completion or occupation of the building, whichever is earlier).

Dated

Yours sincerely,

Signature

.....

Name

.....

Address

.....

FORM No. 5

the
Notice under section 86 of
Cantonments Act, 2006 (41 of
2006) To,

The Chief Executive Officer,
.....Cantonment
Board,

Subject:-Notice of vacancy of property known as

.....

.....

.....

Sir/Madam,

I/We hereby give notice under section 86 of the Cantonments Act, 2006 that the
property* / (portion of the property) mentioned
above is lying vacant and has become unproductive of rent since

..... day of 20

.....

This may please be noted.

Dated

Yours sincerely,

Signature

.....

Name

.....

Address

(*Here mention the particulars of the vacant portion of property.)

FORM No. 6
Notice under section 88 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of
2006)

To,

The Chief Executive Officer,
.....Cantonment
Board,

Subject: - Re-occupation of the property known as
.....

..... Sir,

I/We hereby give notice under sub-section (1) of section 88 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) that the property* / (portion of the property) mentioned above has been re-occupied with effect from the

day of 20

(The time limit for giving such notice is within 15 days of such re-occupation)

Dated

Yours sincerely,

Signature

Name

Address

(*Here mention the portion of property.)

१Hkkx llμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

57

FORM No. 7**Notice under sub-section (2) of section 91 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....

Sir/Madam,

Whereas the following goods/vehicle (s)/animals (s) listed below were seized from you
 on the Day of
 20 for
 non-payment of Octroi/Terminal tax/Toll amounting to Rs.
 payable by you;

And whereas you have failed to deposit Rs.
 towards Octroi/Terminal tax/Toll on the said goods/vehicle (s)/animal (s).

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 91 of the Cantonments Act,
 2006 (41 of 2006), I, as the Chief Executive Officer of the
 Cantonment Board, hereby give you notice that the
 goods/vehicle (s)/animal (s) listed below shall be sold by auction on the day of
 20
 for recovering the amount of Rs.
 due from you as Octroi/Terminal tax/Toll on accounts
 of the goods/vehicle (s)/animals (s) listed below.

Take further notice that in addition to the amount of Rs.
 any expenses occasioned by seizure, custody and sale of the said
 goods/vehicle (s)/animals (s) shall also be recoverable from you unless the said amount and
 expenses, are paid by you before the commencement of sale by auction.

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board No Dated

.....

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

List of goods/vehicle (s)/animal (s)

1.

2.

3.

4.

FORM No. 8**Notice under sub-section (1) of section 116 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....

Sir/Madam,

Whereas it is necessary to have information for the purposes of ascertaining the tax liability/the amount to be assessed/the annual value of the building/land know as

..... occupied by you;

Now, therefore, I, as the Chief Executive Officer of

..... Cantonment Board, hereby call upon you to furnish the

necessary information in the proforma overleaf in respect of property know as

..... within 15 days from the receipt of this notice. Failure to

furnish the information within 15 days or furnishing of information which is not true to the best of your knowledge or belief will make you liable for punishment with fine which may extend to Rs. 5000/- under sub-section (2) of section 116 of the said Act and the tax liability/the amount to be assessed/the annual value of the building/land will be decided as the Chief Executive Officer may deem proper. The assessment so made shall be final.

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board No Dated

.....

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

**Information to be furnished under section 116 of
the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

1. House No. Road and locality.
2. Name and address of the owner.
3. Date of inheritance/purchase.
4. Price paid for the property/
5. (a) Whether *Kutcha* or *Pucca*,
(b) Covered area.
6. Number of Storeys.

१Hkkx Ilμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

59

7. Number of rooms of every description in each storey, with dimension including stores, kitchen

and bathrooms.

8. (a) Whether used for residential or commercial purposes;

(b) Is the building used for running a hotel, college, school, hospital or factory? If so, please give full particulars.

9. If any portion (s) has been let out, the name (s) of tenants, the accommodation let out to each and the monthly rent.

10. Whether the house is:

(a) Electrified.

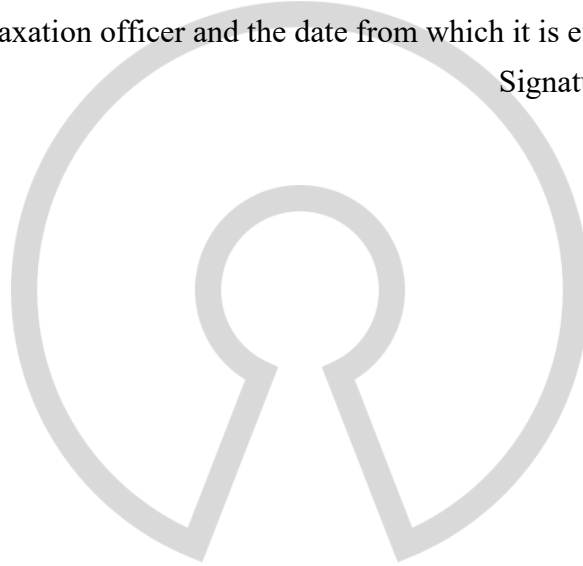
(b) Has a domestic water connection.

(c) Sanitary latrines.

11. is the house assessed for state government's property tax and if so what is the assessment fixed

by the Excise and Taxation officer and the date from which it is effective.

Signature of owner/occupier/tenant



FORM No. 9

**Notice under clause (a) of section 136 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that:

* (1) a cesspool in you building/land # is causing a nuisance and it needs closing;

* (2) The receptacle to collect filth in your building/land #
.....

is not kept in a clean condition/sewage is accumulating on your land/building
.....

* (3) The flowing/soaking/drainage water of private latrine/urinal/sink/bathroom or any other offensive matter on your land/building # is causing a nuisance to the neighbours and persons passing by;

* (4) Rubbish or offensive matter has been allowed to accumulate or remain under it/on your building/land #

Now, therefore, in pursuance of sub clause** of clause (a) of section 136 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board hereby give you notice to close the cesspool/to keep the receptacle clean/ to rectify accumulation of sewage/to stop the flow of the daily waste water on the public land for provide a pucca cesspool/to remove the rubbish/to provide proper covering/repair/cleanse within days of receipt of this notice.

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board No Dated
.....

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

(*Strike out whichever is not necessary.

#Fill in the particulars of the building or land.

**Here mention the respective sub-clause of clause (a) of section 136)

FORM No. 10

**Notice under clause (b) and clause (c) of section 136 of
the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**
To,

.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that:

***(1) Making or altering any drain in your building/land #**
.....

leading into a public drain should be stopped;

***(2) the drain in your control is not clean/requires repair/to be altered/ to put in good order;**

Now, therefore, in pursuance of sub clause*(b)/clause*(c) of section 136 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice to stop from making or altering the said drain leading

¹Hkkx Hµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

61

into a public drain*/to cleanse/purify/repair/alter/put in good order the same within

..... days of receipt of this notice.

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board No Dated

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

(#Fill in the particulars of the building or land.

*Strike out whichever is not necessary.)

FORM No. 11
Notice under sub-section (1) of section 137 of
the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To

.....
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the Health Officer Cantonment Board, the well/tank/reservoir/cistern/container/desert cooler or any other receptacle or place in your property known as# where water is stored/accumulated, is creating nuisance and likely to be a breeding place for mosquitoes.

Now therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 137 of the Cantonment Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice to fill up/cover the well/cistern/reservoir/receptacle or fill up the tank or drain off or remove the water within days of the receipt of this notice.

(Authority: Cantonment Board resolution No. dated
.....) (# details of the property)

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board No. Dated
.....

FORM No. 12**Notice under clause (a) of section 138 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To

.....

Sir/Madam,

Whereas it has been noticed that the land/building/house# owned/occupied by
 your

requires to be provided with latrine/urinal/cesspool/dustbin/receptacle for filth, sewage or
 rubbish/additional latrine/urinal/cesspool/receptacle;

Now therefore, in pursuance of section 138 of the Cantonment Act, 2006, I, as the Chief
 Executive Officer of the Cantonment Board, hereby
 give you notice that the(here specify the requirement as to latrine/urinal/cesspool
 etc.) should be provided in the aforesaid land/building/house owned/occupied by you as per the
 specifications mentioned below.

.....
 ...

'Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

63

(Here specify the manner in which the latrine/urinal/cesspool etc. be provided for)

.....

(# details of the property)

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board No. Dated

Chief Executive Officer

..... Cantonment Board

(Seal of the Board)

FORM No. 13
Notice under section 139 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To

Chief Executive Officer,
..... Cantonment
Board
.....

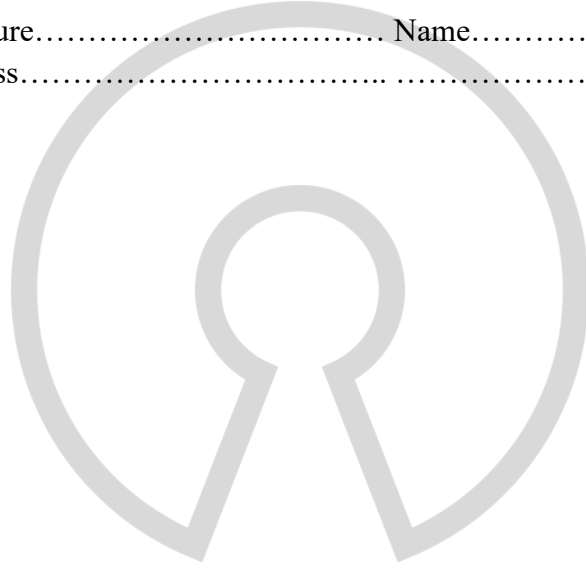
Sir/Madam,

I, as an employer of the (here specify the name of the establishment) hereby give your notice under section 139 of the Cantonment Act, 2006 that with effect from the day of 20..... I am employing persons as employees in the aforesaid (name of the establishment) located at in the Cantonment.

Yours sincerely,

Place Date.....

Signature..... Name.....
Address.....



FORM No. 14**Notice under section 140 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To

.....

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that:

*(1) The private latrine/urinal owned by you/under your control shall not hereafter be put to public

use;

*(2) The private latrine/urinal proposed to be constructed/repared by you shall not be constructed/repared, unless it has been inspected by the Chief Executive Officer or official of the Board authorized by the Chief Executive Officer (here mention designation of inspecting official of

the Board) and certified that the said latrine/urinal is in conformity with the plan approved by the Cantonments Board, on the day of 20... (the copies thereof are available in the office of the Cantonment Board free of charge);

*(3) The private latrine/urinal owned by you/under your control is causing public nuisance;

*(4) The private latrine/urinal The latrine owned/controlled by you,-

(a)Is open to view of persons passing by/dwellings in the neighbourhood;

(b)Needs cleansing in the manner specified below:

(5) The drain owned/controlled by you is uncovered and requires to be covered in the manner

specified below:

(Here Specify the manner of covering required).

Now, therefore, in pursuance of clause \$..... of section 140 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, give you notice to take necessary

steps to construct/remove/repair/shut out cleanse/cover the private latrine/urinal/drain owned by you/under your control situated in your building/land** within days of

the receipt of this notice in the manner hereinafter specified.

.....
 ...

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board No. Dated

.....

Chief Executive Officer

..... Cantonment Board (Seal of the Board)

(* Strike out matter whichever is not
necessary.

\$ Here specify the clause.

** Fill in the particulars of the building or land.)

¹Hkkx Hµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

65



FORM No. 15

**Notice under sub-section (3) of section 142 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To

.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas on the-basis of the report of the Committee constituted under sub-section (1) of section 142 of the Cantonment Act, 2006, the Cantonment Board is of the opinion that the building (s) indicated in the table below is/are

likely to cause risk of disease to the inhabitants of the building (s)/ neighbourhood/endanger the public health;

Ant whereas the board is satisfied that it is necessary to remove the said building (s) immediately;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 142 of the Cantonments Act, 2006,

I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice that the said building (s) to be removed within days of the receipt of this notice.

(Authority: Cantonment Board Resolution No. dated)

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board No. Dated

.....

TABLE

(Here give the particulars of the building (s) in question).

FORM No. 16**Notice under sub-section (1) of section 143 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To

.....

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the Board, building (s)
 or part of building (s) used as dwelling
 house

is overcrowded and endangering the health of the occupants thereof.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 143 of the Cantonments Act,
 2006,

I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment
 Board, hereby give you notice to reduce the number of lodgers/tenants/other inmates by
 *..... and abate the over-crowding in the said building (s). Failing
 to
 comply with the above requisition, you will be liable to prosecution under sub-section (2) of
 section
 143 of the said Act.

(Authority: Cantonment Board Resolution No. dated)

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board No. Dated

Chief Executive Officer

..... Cantonment Board (Seal of the Board)

(*Hereafter specify the details of lodgers/tenants/other persons whose number is to be reduced)

¹Hkkx Ilμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

67

FORM No. 17

**Notice under sub-section (1) of section 144 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To

.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the Board, building (s) owned or occupied by you situated at is in a state of dis-repair/dilapidated/in an insanitary state and required to be repaired/alterd as specified below:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 144 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice that the execution of the aforesaid repairs/alterations should be carried out within days of the receipt of this notice.

(Authority: Cantonment Board Resolution No. dated)

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board No. Dated

.....
Chief Executive Officer

..... Cantonment Board (Seal of the Board)

FORM No. 18**Notice under sub-section (1) of section 145 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To

.....

.....

.....

.....

Sir/Madam,

Whereas the land/building
owned/ occupied by you* is in a insanitary/filthy/unwholesome state,

.....

...* is a nuisance to persons in the neighbourhood,

.....

... * is overgrown with prickly-pear / rank / noisome vegetation;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 145 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the
Cantonment Board, hereby give you notice that the said land/building (s)
..... owned/ occupied by you should be cleansed/lime-washed
internally/externally/cleared and put in a proper state within days of receipt of this
notice.

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board No. Dated

.....

Chief Executive Officer

..... Cantonment Board (Seal of the Board)

(*Strike out the matter whichever is not necessary.)

¹Hkkx Ilμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

FORM No. 19

**Notice under section 147 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

NOTICE

Every owner or occupier of this building# is hereby given noticed
that

the entire/part of the building is unfit for human habitation and he/she is prohibited to use the
same

until it has been rendered fit for such use to the satisfaction of
..... Cantonment Board.

(Authority: Cantonment Board Resolution No. dated)

(# here mention details of the building)

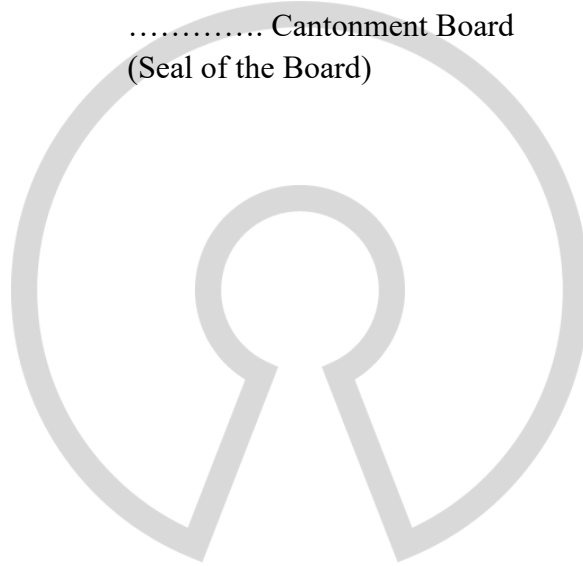
Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board No. Dated

Chief Executive Officer

..... Cantonment Board

(Seal of the Board)



FORM No. 20

Notice under section 148 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sir/Madam,

It is noticed that noxious vegetation/undergrowth has come up in the land/the building
..... owned or occupied by you which is injurious to
health/offensive to the persons residing in the neighborhood;

Now, therefore, in pursuance of section 148 of the Cantonments Act, 2006, I, as the
Chief Executive Officer of the Cantonment Board,
hereby
give you notice to clear away and remove from the said land/building the vegetation/undergrowth
within days of the receipt of this notice.

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board No. Dated

Chief Executive Officer
..... Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM No. 21**Notice under section 150 of the****Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....

Sir/Madam,

Whereas it is necessary to have the following information in respect of burial/burning ground owned by you/of which you are in-charge with regard to the condition, management/ position of such ground. (Herein specify the information required)

Now, therefore, in pursuance of section 150 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby call upon you to furnish the necessary information as required above in respect of burial/burning ground within days of the receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

Hkkx Hk[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

FORM No. 22
Notice under section 158 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of
2006)

To,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas it has been certified by medical practitioner, that
the (Name)
out break/ spread of infectious/contagious
disease..... (Name of disease)
..... in the Cantonment is attributed to the milk supplied by you.

Now, therefore, in pursuance of section 158 of the Cantonments Act, 2006, I, as the
Chief Executive Officer of the Cantonment Board,
hereby give you notice to furnish a full and complete list of the names and addresses of all your
customers and furnish all such information to enable me to trace the persons to whom you have
sold milk with in days of the receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

FORM No. 23
Notice under section 159 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of
2006)

To,

.....

Sir/Madam,

Whereas it has been certified by Health Officer, that with a view to prevent spread of infectious/contagious disease

.....It is (Name of disease)
 necessary to have the information regarding your customers;

Now, therefore, in pursuance of section 159 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice that full and complete list of the names and addresses of all your customers with in the cantonment whose clothes and other articles you wash or have washed during the six weeks immediately preceding the date of this notice, be furnished to the Health Officer within days of the receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

¹Hkkx llμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

73

FORM No. 25**Notice under section 168 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....

.....

.....

Sir/Madam,

Whereas the Board is of the opinion that cleansing and disinfection of your building/ part of a building/removal of the flooring of the building/articles in the building, is necessary to prevent/check spread of infectious/contagious disease;

Now, therefore, in pursuance of section 168 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board hereby give you notice to cleanse/disinfect the building/ part of a building/removal of the flooring/ articles in the building as specified below, within a period of days of the receipt of this notice.

.....

...

..... (Herein specify the details)

(Authority Cantonment Board Resolution No dated)

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

'Hkkx Πμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

75

FORM No. 26

**Notice under sub-section (1) of section 169 of
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

the

To,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the Board, the destruction of shed/hut and the material thereof owned by you at is necessary to prevent the spread of infectious/contagious disease;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 169 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice to destroy the aforesaid shed/hut and the materials thereof within days of the receipt of this notice.

(Authority Cantonment Board Resolution No dated)

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated

FORM No. 27

**Notice under sub-section (2) of section 169 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) To,**

.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas, as the President of the Board, I am satisfied that the destructions of shed/hut at
..... *owned/occupied by you is
immediately

necessary for the purpose of preventing the spread of *infectious/contagious disease;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 169 of the Cantonments Act, 2006, I, as the President of the Cantonment Board, hereby give you notice that the said *shed/hut *owned/occupied by you shall be destroyed immediately. In case of your failure to destroy the said shed/hut, it will be destroyed by the Board within ** hours of the receipt of this Notice.

Yours sincerely

President

Office of the Cantonment Board

No Dated

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

(*Strike out the matter whichever is not
necessary.) (**Here mention the period not less
than two hours).

FORM No. 28**Notice under clause (b) sub-section (1) of section 176 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....

Sir/Madam,

Whereas the undersigned is of the opinion that the water in *well/tank/
 (other place) owned by you/under your control at.....if used
 for drinking, will endanger/cause the spread of disease.

Now, therefore., in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 176 of the
 Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), I, as the Chief Executive Officer of the
 Cantonment Board, hereby give
 you notice to adopt the following measures to prevent the public from using the water from the
 said 'well/tank/ (other place)

'Hkkx Ilμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

77

within *hours/days from the date of receipt of
 this

notice.

(Here mention the measures to be undertaken).

- (1)
 (2)
 (3)

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

(*Strike out the matter whichever is not necessary.)

FORM No. 29

**Notice under section 177 of the
Cantonments Act, 2006(41 of 2006)**

To,

.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas it has been reported that has
died

from infectious/contagious disease.

Now, therefore, in pursuance of clause (a) / clause (b) of section 177 of the Cantonments
Act,

2006, I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice:

- *(a) to convey the same to a mortuary at
- *(b) to remove the corpse for the purpose of being *buried/burnt/conveyed to a
mortuary
at

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No Dated
.....

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

(*Strike out the matter whichever is not necessary.)

FORM No. 31
Notice under section 190 of the
Cantonment Act, 2006 (41 of
2006)

To,

.....

Sir/Madam,

Whereas the source (name of well
 etc.) of public water supply which is used for drinking purposes in
 owned by you/ under your control is

*(a) not in good order/ not cleared of silt/ refuse/ decaying vegetation;

*(b) required to be protected from contamination in the manner specified below:-

.....

*(c) the water is unfit for drinking purposes;

Now, therefore, in pursuance of section 190 of the Cantonments Act, 2006, I, as the
 Chief Executive Officer of the Cantonment
 Board, hereby give you notice:

*(a) to *keep the aforesaid *well/water supply in good order/ clear it of * silt./
 refuse/ decaying vegetation

*(b) * to protect the aforesaid *well/ water supply from contamination in the manner
 specified below:

.....
 (Here specify the manner to be adopted to prevent contamination)

*(c) that the public should be prevented from having access to using the water from
 the aforesaid * well/ water supply in the manner specified below:

..... (Here specify the manner
 of

prevention) within days of
 receipt of

this Notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

(*Strike out the matter whichever is not necessary.)

FORM No. 32**Notice under section 192 of the
Cantonment Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....

Sir/Madam,

Whereas it appears that the building/land
 Owned/ occupied by you is without a proper supply of pure water;

Now, therefore, in pursuance of section 192 of the Cantonment Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice as the owner/ occupier that the building/ land should be provided with communication pipes of the size and description specified below and for obtaining sufficient quantity of water from ... (Here specify the source of public water supply) for the requirement of persons occupying the said building/ employed upon the said land:

.....
 ...

(Here specify the particular as to size and description of the communication pipes).

Hkkx Πμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

81

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated

FORM No. 33

**Notice under clause (a) of section 195 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

The *.....Officer
..... Cantonment

Board

In pursuance of clause (a) of section 195 of the Cantonments Act, 2006, I, as the
owner/occupier/lessee of the land/ building
(details of land/ building), hereby give you notice that due to pipes/ drains/other works being out
of
repair, there is wastage of water in/on the said land/building.

This may please be noted.

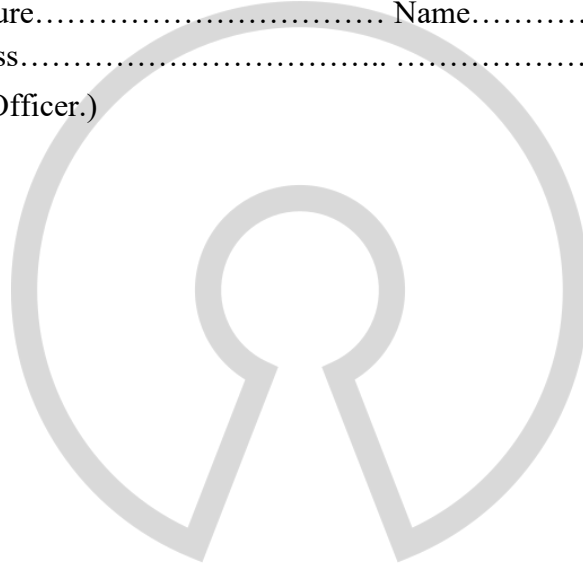
Yours sincerely

Place Date.....

Signature..... Name.....

Address.....

(* Designation of the Officer.)



FORM No. 34**Notice under clause (c) of section 195 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....

Sir/Madam,

Whereas, you have—

- (a) Neglected to pay the water tax/water rates**
 charges in respect of land/building
 owned/occupied by you and more
 than days period has elapsed since issue of
 bill to you;
- (b) Refused to admit/prevented the
 undersigned/..... officer/servant of the Board,
 to enter in the land/building owned/occupied by you on
 for the purpose of making an
 examination/ inquiry as authorized under clause (b) of section 195 of the
 Cantonments Act, 2006;
- (c) Willfully/negligently misused/caused waste of water in the land/building
 owned/occupied by you;
- (d) Willfully/negligently injured/damaged the meter/pipe/tap conveying water from
 the water works to the land/building
 owned/occupied by you;
- (e) The pipes/ taps/ works/ fittings connected with the supply of water to the
 land/building owned/occupied
 by you are out of repair and causing waste of water.

(** Specify the nature of charges.)

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of section 195 of the Cantonments Act, 2006,
 I, as

the Chief Executive Officer of the
 Cantonment

Board, hereby give you notice that the water supply to the aforesaid land/building is being turned
 off/disconnected within days of the receipt of
 this

notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

१Hkkx Πμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

83



FORM No. 35

the
Notice under section 242 of
Cantonments Act, 2006 (41 of
2006) To

The Chief Executive officer,
Cantonment Board,

.....
.....
.....

In pursuance of section 242 of the Cantonments Act, 2006, this is to inform you that
I/We

have completed erection/re-erection of the building, known as as per
sanction

given by the Board under Resolution No..... dated/your letter
No.....

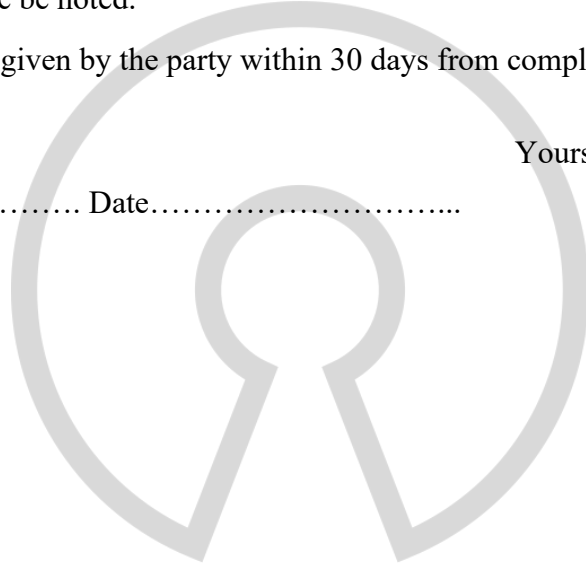
dated refers.

This may please be noted.

(This notice should be given by the party within 30 days from completion of erection/re-
erection of building)

Yours sincerely

Place Date.....



FORM No. 36

**Notice under sub-section (1) of section 248 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) To,**

.....

Sir/Madam,

Whereas it is considered that the erection/re-erection of the building specified in the Schedule below (hereinafter referred to as the said building) *owned/occupied/taken on lease by you, constitute an offence under section 247 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 248 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), I as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice that the *erection/re-erection of the said building should be stopped, the *erection/re-erection completed by you should be demolished and the said building should be re-erected in the manner specified in column (4) of the said Schedule ...

(*Strike out whichever is not necessary.)



SCHEDULE

Name of the Building and	Location of the Specification to Building	Details of construction as undertaken by owner/ Occupier/lessee in of Contravention of section building. 247 of the Act	demolition re-erection the
1.	2.	3.	4.

.....

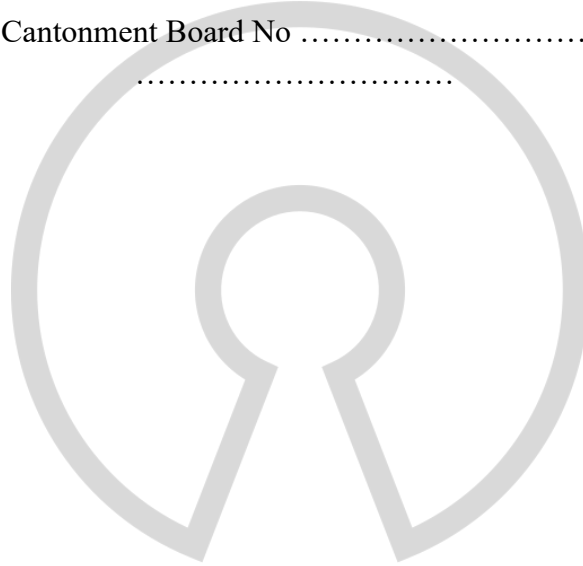
.....

(Authority: Cantonment Board Resolution No..... Dated.....where the site falls outside Civil Area)

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No Dated

.....



FORM No. 37**Notice under sub-section (2) of section 248
of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....

.....

Sir/Madam,

Whereas the Officer Commanding-in-Chief, the Command has by his order No.....dated.....suspended the order of the Board issued under section 238 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), under which the Board has sanctioned the * erection/re-erection of the building specified in the Schedule below (hereinafter referred to as the said building);

AND whereas it is necessary to stop the said *erection/re-erection of the said building;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 248 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), I, as the Chief Executive Officer of the.....

'Hkkx Πμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

85

..... Cantonment Board, hereby give you notice to stop the *erection/re-erection of the said building, *demolish / alter/ re-erect the said building in the manner specified in column (4) of the said Schedule.

.....

(* Strike out whichever is not necessary.)

SCHEDULE

Name of the Building	Location of the Building	Details of construction undertaken by owner/occupier/lessee	Manner in which the building should be demolished / altered /re-erected as per the modifications suggested by the Officer Commanding in Chief, the Command
1	2	3	4

.....

...

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No Dated

.....



FORM No. 38

the
2006) To,
Notice under section 252 of
Cantonments At, 2006 (41 of

.....
.....

Sir/Madam,

Whereas you have without the permission in writing from the Chief Executive Officer has erected / constructed the following structures in your building:

- (1)
- (2)
- (3) * (Here specify the structures of the building).
- (4)

Now, therefore, in pursuance of section 252 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby give you notice that you should demolish the aforesaid ** erection/ structure/encroachment within..... days of the receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated.....

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

(*Projecting into/encroaching on the street/channel/drain/well/tank

** Strike out whichever is not necessary)

FORM No. 39

**Notice under section 253 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....
.....

Sir/Madam,

Whereas, you have without the permission of the undersigned in writing erected/re-erected a structure over (Name of the public sewer/drain/culvert/ water course or water pipe).....in.....;

Now, therefore, in pursuance of section 253 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby give you notice
to

१Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vIk/kj.k

87

pull down the same within days of the receipt of this notice failing which it shall be removed by the undersigned at your risk and cost.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board

No

Dated.....

FORM No. 40**Notice under section 254 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....
.....

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that—

*(a) the troughs and pipes for receiving and carrying rain water from the building

.....land.....*owned/occupied by you are not in good

condition;

*(b) there is no proper connection/communication between the

building...../ land *owned / occupied by you and
the

..... drain/sewer (specify the drain /sewer)

Now, therefore, in pursuance of section 254 of the Cantonments Act, 2006, I, as the
ChiefExecutive Officer of the..... Cantonment Board hereby give you
notice that the troughs and pipes should be kept in good condition and to ensure sufficient
drainage from the said building/land the following work should be undertaken by you
within.....days of the receipt of this notice:

1.

.....

2.

.....

3.

.....

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated.....

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

(* Strike out the matter whichever is not necessary)

FORM No. 41**Notice under sub-section (2) of section 261 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....

.....

Sir/Madam,

Whereas it is brought to the notice of the undersigned that —

*(a) The boundary * wall/ hedge/ fence in the land..... *

owned/ occupied by you is * unsuitable/ unsightly/ objectionable;

.....

*(b) It is necessary to construct on the land.....*owned/occupied by you,

the boundary * wall/hedge/ fence of the material, description/ dimensions specified below;

.....

*(c) It is necessary to maintain the boundary * wall/ hedge/ fence on the

land.....*owned/ occupied by you in good order;

Now , therefore, in pursuance of sub- section(2) of section 261 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the.....Cantonment Board hereby give you notice that—

(a) The boundary wall/ hedge/ fence on the aforesaid land be removed;

¹Hkkx Πμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

89

*(b) The boundary * wall/ hedge/ fence of the material, description/ dimensions specified below be constructed on the aforesaid land

.....

..... (Here give the specifications as to material, description or dimensions);

.....

..... *(c) The boundary * wall/ hedge/ fence on the aforesaid land be maintained in good order within.....days of the receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated.....

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

(Strike out the matter whichever is not necessary.)

FORM No. 42

**Notice under section 262 of the
Cantonment Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas the Board is of the opinion that it is necessary to fell/lop/trim the tree(s) standing on land owned / occupied by you on account of..... (Here mention the reasons);

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) / sub-section (2) of section 262 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice that the tree (s) standing on your land should be felled/lopped/ trimmed within days of receipt of this notice.

(Authority: Cantonment Board Resolution No.....dated.....)

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated.....

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)



FORM No. 43

**Notice under section 264 of the
Cantonment Act, 2006 (41 of 2006)**
To,

.....
.....

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the undersigned the working of a quarry/ the removal of stone/ earth/..... (Here specify the removal of other material from the soil) at owned/ occupied by you is dangerous to the persons residing in/ frequenting the neighborhood and creates/likely to create nuisance;

Now, therefore, in pursuance of sub- section(1) of section 264 of the Cantonments Act,2006,I, as the Chief Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby give you notice that the following steps should be taken by you to prevent danger/ abating, nuisance arising/likely to arise..... at owned/ occupied by you:—

.....

.....

(Herein specify the steps to be taken)

.....

.....

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated.....

FORM No. 44

the
2006) To,
Notice under section 280 of
Cantonment Act, 2006 (41 of

.....

.....

Sir/Madam,

Whereas the Board is satisfied that the use of place known as

'Hkkx Iµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

91

.....owned / occupied by you for the purpose of under licence granted by the
 Board is a nuisance/ likely to be dangerous to life/ health/ property;

Now , therefore, in pursuance of section 280 of the Cantonments Act, 2006, I, as the
 Chief

Executive Officer of the..... Cantonment Board, hereby give you notice that the
 use

of the aforesaid place should be discontinued with effect from the day
 of.....20...../to effect the following alterations/ additions/ improvements by
 the.....day of.....20.....to render it free from any
 nuisance/
 danger.

(Here give details of alterations, additions and improvements to be undertaken).

(Authority: Cantonment Board Resolution No.....dated)

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated.....

FORM No. 45

**Notice under sub-section (1) of section
292
of the Cantonments Act, 2006 (41 of
2006)**

To,

.....
.....

Sir/Madam,

Whereas by public Notice date..... it was directed by the Chief Executive Officer that the roofs and external walls of huts/buildings shall not, without the permission in writing of the Chief Executive Officer, be made or renewed with grass, mats leaves or other inflammable materials in the..... Area of the Cantonment; and

Whereas you have renewed the roof/wall (s) of your hut/building with grass/mats/leaves, inflammable material, without the permission from the Chief Executive Officer in writing.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 292 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the..... Cantonment Board, hereby give you notice that the roof/walls of your hut/building be removed within 15 days from the date of receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated.....

FORM No. 46**Notice under sub-section (2) of section 292
of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....
.....

Sir/Madam,

Whereas the external *walls/roof(s) of your *hut/building is made of
grass/mats/leaves..... inflammable materials *with/Without the sanction of
the

Chief Executive Officer;

And whereas the Chief Executive Officer is of the opinion that the external walls/roof (s)
of

your hut/building should be removed being made of an inflammable Material;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 292 the Cantonments Act,
2006, as

the Chief Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby give
you

notice that the external walls/roof (s) of your hut/building be removed with
in

**..... days from the date of receipt of this notice.

You are further informed that the compensation of Rs.....towards the

¹Hkkx Πμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

93

original cost of the said material has been awarded to you and the same may be collected from the
office of the Board within**.....Days.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated.....

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board

(*Strike out the matter whichever is not necessary.

**Here give the reasonable period for compliance).

FORM No. 47

**Notice under section 297 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....
.....

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the Chief Executive Officer of.....Cantonment Board your building/wall/well/tank/reservoir/pool/depression/excavation/bank/tree (described in the Table attached herewith) owned/partly owned/occupied by you is in ruinous, state and is a nuisance/dangerous to persons/passingby/dwelling/ working in the neighbourhood**.

Now, therefore, in pursuance of section 297 of the Cantonments Act 2006, I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice that

***.....removed/repaired/protected/enclose within days from the date of receipt of this notice, failing which, the said work shall be undertaken by the undersigned at your risk and cost.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated.....

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board

(*In case of tenant the word 'your' shall be deleted.

** Strike out whichever is not applicable.

***Herein specify the action required on part of owner/tenant).

FORM No. 48**Notice under section 298 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....
.....

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that your building No..... /
Vacantplot No..... has by reason of disuse/disputed ownership/
.....has remained unoccupied and has become the resort of idle and disorderly person/persons who
haveno ostensible means of subsistence/persons who cannot give a satisfactory account of
themselves/isused for gaming/immoral purposes or for..... (other
purpose)*.....

..... and/or is likely to occasion a nuisance. **

Now, therefore, in pursuance of section 298 of Cantonments Act, 2006, I, as the Chief
Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby give you notice to
secure and enclose the said building No/Vacant Plot
No

.....within.....days of the receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated.....

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board

(*Herein specify the other purpose.

**Strike out whichever is not applicable.)

¹Hkkx Ilμ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

FORM No. 49

**Notice under section 308 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....
.....

Sir/Madam,

Whereas the Board has undertaken the work specified in the table below (hereafter referred to as the said work) and for that purpose, it is necessary for the officers, staff and the workmen executing the said work on behalf of the Board to enter on your land

for the purpose of depositing thereon

(Here specify the nature of materials such as soil, gravel etc.)

or of obtaining access to the said work

.....

(Here specify any other purpose).

Now, therefore, in pursuance of section 308 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the..... Cantonment Board, hereby give you notice that the officers, staff and the workmen of the Board shall enter into your land for the purpose aforesaid on the.....

(Here specify the date not earlier than three days from the date of proposed entry)

..... day of.....

20.....

and request you to fence off the aforesaid land.....

(Here mention the area)

owned /occupied by you so as to enable the officers, staff and workmen of the Board to execute the said work.

(Table with details of work specified)

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated.....

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

FORM No. 50**Notice under section 320 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

To,

.....

Sir/Madam,

**Subject: Non-compliance of Notice issued by.....Cantonment
Board**

Sir/Madam,

Whereas you have failed to comply with the term(s) of this office Notice / Order / Requisition No.....dated, issued to you under section.....of the cantonments Act, 2006/ rule / bye-law made thereunder (details of rule / byelaw) directing you to(details of actions required to be taken by the person in default)

* As whereas the appeal under section 340 of the Cantonments Act, 2006 filed by you on(date) has been dismissed by the Appellate Authority (name the authority) vide order No..... dated.....

Now, therefore, you are hereby directed under section 320 of the Cantonments act, 2006 to comply with the terms of the above notice/order/requisition within 10 days from the date of receipt of this notice, failing which the above mentioned action or work shall be completed by the Board at your risk or cost.

(Authority: Cantonment Board Resolution No dated....., if the notice/order/requisition was issued at the instance of the Board)

(*Strike-out, if not applicable)

Yours

sincerely

Office of the Cantonment Board No

Dated.....

Chief Executive officer

.....Cantonment Board (Seal of the Board)

[F. No. 14(1)/2016-D(Q&C)]

MANISH THAKUR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK

signed by

KUMAR

2017.01.25
+05'30'

KUMAR

Digitally

ALOK

Date:

11:48:14